टिप्पणी

5

व्यवसाय संगठन का कम्पनी स्वरूप

आपको यह ज्ञात होगा कि देश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत के अविकसित क्षेत्रों में पांच इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। क्या आपको यह भी ज्ञात है कि इन इस्पात संयंत्रों का स्वामी कौन है? इन इस्पात संयंत्रों का स्वामित्व भारत सरकार का है। भारत सरकार ने इस उद्देश्य से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के नाम से ज्ञात एक संयुक्त स्टॉक कंपनी की स्थापना की है। आपने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी), ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीआईएल), रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और टाटा स्टील लिमिटेड के नाम भी सुने होंगे। ये सभी बड़ी व्यावसायिक इकाइयाँ हैं जो संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रूप में संगठित हैं। इस पाठ में हम संयुक्त स्टॉक कंपनी के बारे में, इनके गुणों एवं सीमाओं; के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे; और उन कारकों पर भी चर्चा करेंगे जिनसे व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन प्रभावित होता है।

अधिगम के प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद, शिक्षार्थी:

- योजनागत आर्थिक विकास के उत्थान में सरकार की भूमिका का औचित्य समझता हैं; और
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यमों के लक्ष्यों का वर्णन करता है।

5.1 संयुक्त स्टॉक कम्पनी

पिछले पाठ में आपने व्यवसाय संगठन के विभिन्न स्वरूपों यथा एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय एवं सहकारी समिति नामक चार स्वरूपों का विस्तृत अध्ययन किया है। आपने यह जाना है कि इन स्वरूपों को छोटे लघु एवं मध्यम आकार के व्यवसायों

के लिए उचित माना गया है।

आपको अब व्यवसायों के साझेदारी स्वरूप की सीमाओं, जैसे कि साझेदार के असीमित दायित्व, निधियों की व्यवस्था के सीमित संसाधनों जैसी विभिन्न सीमाओं एवं साझेदारों की संख्या से संबंधित प्रतिबंधों की भी जानकारी प्राप्त है जिससे आप साझेदारी से लौह एवं इस्पात जैसे पूंजी गहन उद्योग की स्थापना के बारे में विचार कर सकते हैं । इनकी पूंजी परिसम्पतियों एवं व्यवसाय के संचालन में भी अत्यधिक राशि के निवेश की आवश्यकता पड़ती है जिसकी व्यवस्था सीमित संख्या वाले साझेदारों एवं अन्य सीमित स्रोतों से नहीं की जा सकती है।

आपको यह भी ज्ञात है कि समाज में छोटी छोटी बचत की जाती हैं और ऐसी बचत का कुल योग यदि काफी बड़ा भी हो तो भी इसका कोई फलप्रद उपयोग नहीं होता है। छोटी बचतों की राशि बहुत कम होती है जिससे ऐसी किसी साझेदारी फर्म में भागीदारी नहीं की जा सकती है जिसमें निवेश के लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। इसलिए, समाज की छोटी बचत को उपयोग में लाने के लिए, व्यवसाय का कंपनी रूप अस्तित्व में आया है, जिसमें अपनी छोटी बचत का निवेश करके, यहां तक कि केवल 1000 रुपये का निवेश (चूंकि एक अंश का अंकित मूल्य 10 रुपये है, जिससे बचतकर्ता 100 अंश खरीदकर अंशधारक बन सकते हैं), करके अंशधारिता प्राप्त की जा सकती है। इस विधि से एक लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी की स्थापना करना एक उत्तम विकल्प है जिसमें आप छोटी बचत करने वाले अथवा बड़ी राशि की बचत करने वाले समाज के सदस्यों के योगदान से विशाल मात्रा में पूंजी की व्यवस्था कर सकते हैं ।

संयुक्त स्टॉक कंपनी अथवा कोई एक सामान्य कंपनी विशाल एवं घटती बढ़ती सदस्यता से युक्त व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है जिसके लिए एक ऐसे व्यापक संगठन का होना अपेक्षित है जो संघ के कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का निर्णय निर्धारक हो, अर्थात जो अपने सदस्यों के विधिक दायित्वों एवं विधिक अधिकारों से पृथक विशिष्ट विधिक स्थिति के संघटन की स्वीकृति करता हो। कुछ विधिक औपचारिकताओं का पालन करके कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत संगठन के ऐसे स्वरूप का गठन सरलता से किसी संघ को एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत करके किया जा सकता है। भारत में संयुक्त स्टॉक कंपनियां कंपनी अधि नियम, 2013 के अंतर्गत शासित होती हैं।

कंपनी का अभिप्राय एवं परिभाषा: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (20) के अनुसार 'कंपनी' की परिभाषा इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कम्पनी विधि के अंतर्गत निगमित कंपनी है। यह परिभाषा कंपनी का अर्थ स्पष्ट व्यक्त नहीं करती है। किसी कंपनी के अर्थ को समझने के लिए, आइए हम प्रो. एल.एच. हैनी द्वारा दी गई प्रसिद्ध परिभाषा 'कंपनी एक निगमित संस्था है जो कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है और जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सार्वमुद्रा (common seal) होती है।'

5.2 कम्पनी के विशिष्ट लक्षण

कम्पनी के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं:-

(क) निगमित संघ: लार्ड हैने (Lord Haney) के अनुसार 'कंपनी एक निगमित संस्था है जो कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है और जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सार्वमुद्रा (common seal) होती है।'

(ख) अपने सदस्यों से पृथक विधिक इकाई: कंपनी अपने सदस्यों से पृथक होती है जबकि साझेदारी में ऐसा नहीं है। इस प्रकार, यह कर्तव्यों का निर्वाह करके अधिकारों का उपयोग कर सकती है जो इसके सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकारों तथा निर्वाह किए जाने वाले कर्तव्यों से भिन्न होते हैं। कम्पनी किसी सम्पति का स्वामित्व प्राप्त कर सकती है तथा उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकती है। कम्पनी के अस्तित्व काल के दौरान अथवा कम्पनी के समापन के समय कोई भी सदस्य न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही संयुक्त रूप से किसी भी स्वामित्व अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति के रूप में कंपनी अपने सदस्यों से भिन्न होती है तथा इसके द्वारा अपने सदस्यों के प्रति भी मानहानि का दावा किया जा सकता है।

(ग) कृत्रिम व्यक्ति: विधि द्वारा सृजित व्यक्ति होते हुए भी कम्पनी का कोई प्राकृतिक आकार नहीं होता है। इसका अस्तित्व मात्र विधि की अपेक्षाओं के लिए है। एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में अपने विभिन्न दायित्वों के निर्वाह के लिए प्राकृतिक व्यक्तियों यथा अपने निदेशकों, अधिकारियों, अंशधारकों इत्यादि पर आश्रित होती है। तथापि, ऐसे व्यक्ति केवल कम्पनी का प्रतिनिधित्व ही करते हैं तथा इस प्रकार से जो भी वे करते हैं वह उन्हें प्रदान किए गए प्राधिकारों के दायरे में कम्पनी के नाम से एवं कम्पनी की ओर से किए गए कृत्य होते हैं जिनके प्रति कम्पनी बाध्यकारी होती है तथा वे स्वयं बाध्यकारी नहीं होते हैं।

(घ) सतत उत्तराधिकार: एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कम्पनी किसी रोग से अशक्त नहीं होती है तथा न ही इसके जीवन का कोई निर्धारित काल ही होता है। सदस्यों में परिवर्तन होते रहते हैं परन्तु कम्पनी सदैव अस्तित्व में रहती है। इसके सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाने, दिवालिया हो जाने अथवा अपनी सदस्यता का त्याग किए जाने की स्थिति में भी कम्पनी का अस्तित्व बना रहता है।

(ङ) समान मुद्रा: एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कम्पनी का किसी वास्तविक व्यक्ति के समान कोई शरीर नहीं होता है। इस प्रकार, मानव के रूप में न तो इसका कोई मस्तिष्क होता है और न ही इसके कोई अंग ही होते हैं। यह अपने कार्यों का निर्वाह मानवों के समूह (एजेंसी) यथा अपने निदेशकों एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों के माध्यम से

करती है। इस प्रकार, कम्पनी की ओर से किए जाने वाले प्रत्येक प्रकार के अनुबंधों पर कम्पनी की मुद्रा होती है, ऐसे अनुबंधों के वैध होने अथवा वैध न होने का आधार प्रत्येक मामले से जुड़े तथ्य होते हैं। निगम द्वारा निगमन को सदृश करने के लिए समान मुद्रा का उपयोग किया जाता है।

(च) सीमित दायित्व : कम्पनी के सदस्य एक सीमित मात्रा में इसके ऋणों को चुकता करने में योगदान देने के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि कोई कम्पनी अंशों के माध्यम से सीमित है तो इसके अंशधारकों के दायित्व का मापन धारित अंशों के सांकेतिक मूल्य जमा अंशों को जारी करने के समय सहमत किसी प्रीमियम के अनुसार किया जाता है। गारंटी के माध्यम से सीमित कम्पनियों के मामले में प्रत्येक सदस्य के दायित्व का निर्धारण गारंटी की राशि के अनुसार किया जाता है। किसी गारंटी कम्पनी का भी अंश पूंजी में भाग होने की स्थिति में प्रत्येक सदस्य के दायित्व का निर्धारण सदस्य न केवल गारंटी की राशि पर अपितु सदस्य द्वारा धारित शेष अचुकता अंशों की राशि पर भी होता है। कम्पनी का गठन सदस्यों के असीमित दायित्व के साथ किया जा सकता है परन्तु कम्पनी के प्रति सदस्यों के दायित्व पूर्ण भुगतान किए जाने तक बने रहते हैं।

(छ) अंशों की हस्तांतरणीयता: पब्लिक कंपनी की लोकप्रियता का एक कारण यह है कि यदि कंपनी के अंश किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है तो उनके अंश अन्य सदस्यों की सहमति के बिना आसानी से स्थानांतरित किए जा सकते हैं। तथापि, प्राइवेट कंपनी के अंशों की हस्तांतरणीयता इसके संगम अनुच्छेद से प्रतिबंधित होती है।

(ज) प्रबंधन का विशिष्ट पैटर्न: आप जानते ही हैं कि विभिन्न कार्य करने वाले और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग कंपनी के अंश खरीदकर अपना अंशदान करते हैं। जिसके कारण कम्पनी के रोजमर्रा के कार्यों का नियंत्रण एवं प्रबंधन संभव नहीं हो पाता है। कम्पनी विधि में कम्पनियों का प्रबंधन इसके चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था की गई है जिन्हें निदेशक अथवा निदेशक मंडल के नाम से जाना जाता है।

पाठगत प्रश्न-5.1

1. यदि किसी संयुक्त स्टॉक कम्पनी के सभी सदस्य किसी सड़क दुर्घटना में दिवंगत होते है तो ऐसी स्थिति में कम्पनी बंद हो जाएगी। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं? यदि हां, तो इस तथ्य से सहमति के कारण स्पष्ट करें।

2. किसी संयुक्त स्टॉक कम्पनी के लिए निम्नलिखित से संबंधित व्यवस्था बताएं ।

   क. उस लघुतम इकाई का नाम बताएं जिसमें कम्पनी की पूंजी विभाजित की

जाती है?

ख. भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत कम्पनियां शासित होती हैं?

ग. किसी संयुक्त स्टॉक कम्पनी में सदस्यों द्वारा किए गए अंशदान की राशि के योग को क्या कहते हैं?

घ. किसी संयुक्त स्टॉक कम्पनी का आधिकारिक चिन्ह क्या है?

ङ. किसी संयुक्त उद्यम कम्पनी के रोजमर्रा के कार्यों के प्रबंधन के लिए चयनित सदस्यों के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है?

च. कम्पनी के सदस्यों में परिवर्तन होते रहते हैं परन्तु कम्पनी का आस्तित्व सदैव बना रहता है।

5.3 कम्पनियों के प्रकार

कम्पनी अधिनियम में कम्पनियों के ऐसे विभिन्न स्वरूपों की व्यवस्था है जिन्हें स्थापित किया जा सकता है अथवा जिनका पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है। आइए, हम कम्पनियों के निम्नलिखित दो सामान्य स्वरूपों पर चर्चा करते हैं:-

1. निजी कम्पनियां:
   - (i) एकल व्यक्ति कम्पनी
   - (ii) लघु कम्पनी
2. पब्लिक कम्पनियां
   - (i) निजी कम्पनी

धारा 2(68) के अनुसार, 'निजी कम्पनी' से वह कम्पनी अभिप्रेत है जिसकी न्यूनतम चुकता अंश पूंजी एक लाख रुपए अथवा निर्धारित चुकता पूंजी है तथा जो इसके अनुच्छेद के माध्यम से,

(क) इसके अंश, यदि कोई हों, का अंतरण प्रतिबंधित करती है;

(ख) इसके सदस्यों की संख्या को अधिकतम 200 सदस्यों तक, निम्नलिखित शामिल नहीं, सीमित करती हो

(i) वे व्यक्ति जो कम्पनी में नियोजित हैं; तथा

(ii) वे व्यक्ति जो पहले कम्पनी में नियोजित थे और नियोजन के दौरान कम्पनी के सदस्य थे तथा जो नियोजन समाप्ति के पश्चात सदस्य बने रहे, तथा जिसमें दो अथवा अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से कम्पनी के एक अथवा अधिक अंश है, जिन्हें सदस्यता के उद्देश्य से एक सदस्य माना गया है।

(ग) जिसमें कम्पनी की प्रतिभूतियों में सर्वसाधारण को अंशदान के लिए आमंत्रित किया जाना प्रतिबंधित हो। इन कंपनियों का स्वामित्व केवल जाने-माने चुनिंदा व्यक्तियों तक ही सीमित है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रारंभ करने और कम्पनी के नाम के आगे 'प्राइवेट लिमिटेड' शब्द लिखने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। सामान्यत:, जब कभी साझेदारी फर्मों को अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, तो वे स्वयं को निजी कंपनियों में परिवर्तित कर लेती हैं। यह ध्यान दिए जाने योग्य तथ्य यह है कि निजी कंपनियों को कंपनी अधि नियम के विभिन्न नियमों से छूट प्राप्त है।

निजी कंपनियां निम्नानुसार दो प्रकार की हो सकती हैं:

(i) एकल व्यक्ति कंपनी: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 3(1)(ग) में दी गई परिभाषा के अनुसार 'एकल व्यक्ति कंपनी' वह कम्पनी है ''जिस कम्पनी का सदस्य केवल एक व्यक्ति'' है। दूसरे शब्दों में, एकल व्यक्ति कम्पनी का गठन ज्ञापन द्वारा अपने नाम की स्वीकृति एवं अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुसरण करके पंजीकरण के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसा पंजीकरण 'अंशों द्वारा सीमित' अथवा 'गारंटी द्वारा सीमित' के रूप में किया जा सकता है। ऐसी कम्पनी का नाम जहां कहीं भी मुद्रित, संयोजित अथवा उत्कीर्ण किया गया हो उसके नीचे कोष्ठक में ''एकल व्यक्ति कम्पनी'' शब्द लिखे जाने चाहिए। भारत में केवल ऐसा वयस्क प्राकृतिक व्यक्ति ही एकल व्यक्ति कम्पनी (ओपीसी) के निगमन करवा सकता है जो भारत का नागरिक एवं निवासी भारतीय हो।

इस अधिनियम के अंतर्गत अनेक रियायतें प्रदान की गई हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:-

क) रोकड़ प्रवाह विवरण के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है

ख) वार्षिक आम सभा का आयोजन आवश्यक नहीं होता है

ग) वार्षिक विवरण पर निदेशक हस्ताक्षर कर सकते हैं तथा इसके लिए कम्पनी सचिव के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होते हैं।

घ) एकल व्यक्ति कम्पनी के लिए किसी कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक मध्याह्न में निदेशक मंडल की केवल एक बैठक आयोजित करनी होती है तथा प्रत्येक बैठक के आयोजन के मध्य कम से कम 90 दिन का अंतराल अपेक्षित होता है।

(ii) लघु कम्पनी : कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(85) की परिभाषा के अनुसार ''लघु कम्पनी'' का अर्थ वह कम्पनी है जो पब्लिक कम्पनी से भिन्न हो तथा जिसकी

- चुकता अंश पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक न हो; तथा

- लाभ एवं हानि के पूर्व लेखे के अनुसार जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

यहां ध्यान दिए जाने योग्य यह है कि एकल व्यक्ति कम्पनी अथवा लघु कम्पनी का गठन गैर-लाभकारी संघ के रूप में नहीं किया जा सकता है।

(2) सार्वजनिक कम्पनी [धारा 2 (71)]

1. धारा 2(71) के अनुसार एक पब्लिक कम्पनी से वह कम्पनी अभिप्रेत है जो-

   (क) निजी कम्पनी नहीं है;

   (ख) जिसकी किए गए निर्धारण के अनुसार न्यूनतम अथवा किए गए निर्धारण के अनुसार उच्चतर राशि की अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

सार्वजनिक कम्पनी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(i) यह आम निमंत्रण के माध्यम सर्वसाधारण को अपने अंशों एवं डिबेंचरों में अंशदान के लिए आमंत्रित कर सकती है।

(ii) सार्वजनिक कम्पनी की स्थापना के लिए न्यूनतम सात सदस्य होने अपेक्षित हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(iii) अंशों के अंतरण के लिए कोई प्रतिबंध नहीं हैं अर्थात अंशधारक सर्वसाधारण को मुक्त रूप से अंशों की बिक्री कर सकते हैं।

(iv) सार्वजनिक कम्पनी की न्यूनतम चुकता पूंजी पांच लाख रुपए होनी चाहिए।

(v) कम्पनी के नाम के आगे 'लिमिटेड' शब्द लिखा जाना आवश्यक है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो लिमिटेड, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक कम्पनियों के उदाहरण हैं।

2. नीचे प्रस्तुत तालिका में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी एवं प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के मध्य कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की उपयोज्यता की भिन्नता स्पष्ट करने वाले कुछ बिंदु दर्शाए गए हैं:-

क्र. सं.	धारा	संक्षिप्त वर्णन	प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी	पब्लिक लिमिटेड कम्पनी
1	2	अभिप्राय	न्यूनतम पूंजी: 100000 रुपए अंश अंतरण करने का अधिकार : प्रतिबंधित	न्यूनतम पूंजी: 500000 रुपए पब्लिक कम्पनी की सहायक कम्पनी को पब्लिक कम्पनी माना जाना है

2	3	सदस्यों की अपेक्षित संख्या	न्यूनतम: 2 (दो), अधिकतम:200 (दो सौ)	न्यूनतम: 7 अधिकतम: कोई सीमा नहीं
3	4	कम्पनी का नाम	अंतिम शब्द 'प्राइवेट लिमिटेड'	अंतिम शब्द 'पब्लिक लिमिटेड'
4	23	प्रतिभूतियां जारी करना	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से राइट इश्यू अथवा बोनस इश्यू जारी करके	सूची पत्र 'सार्वजनिक प्रस्ताव' के माध्यम से सर्वसाधारण को निजी प्लेसमेंट के माध्यम से राइट इश्यू अथवा बोनस इश्यू जारी करके
5	149	निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	2 (दो): स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की अपेक्षा नहीं है।	3(तीन); सूचीबद्ध कम्पनियों के मामले में कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक

नोट :

1. कम्पनी संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार न्यूनतम चुकता पूंजी से संबंधित खंड हटा दिया गया है तथा तदनुसार निजी अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम पूंजी की कोई अनिवार्यता नहीं है।
2. कम्पनी संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार निजी एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां, दोनों, निगमन का प्रमाणपत्र प्राप्त होने के तत्काल पश्चात अपने व्यवसाय क्रियाकलाप प्रारंभ कर सकती हैं।

5.4 संयुक्त स्टॉक कम्पनी के गुण

बड़े व्यवसायों के लिए व्यवसाय संगठन का कम्पनी स्वरूप अत्यधिक लोकप्रिय है। इसके गुण निम्नलिखित हैं:-

(क) विशाल संसाधन : अपने सदस्यों की विशाल संख्या होने के कारण एक संयुक्त स्टॉक कम्पनी विशाल वित्तीय संसाधनों की उत्पति कर सकती है तथा यह अंशों, डिबेंचरों, सार्वजनिक जमा, वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर निधियों की उत्पति कर सकती है जिसमें इसे कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है।

(ख) सीमित दायित्व : किसी संयुक्त स्टॉक कम्पनी में इसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों तक ही सीमित होता है। इससे कम्पनी में निवेश के प्रति छोटे निवेशक बड़ी संख्या में आकर्षित होते हैं। इससे कम्पनी विशाल पूंजी की उत्पति कर

पाती है। दायित्व सीमित होने के कारण कम्पनी बड़े प्रकार के जोखिम भी उठा पाती है। इससे निवेश संबंधी निर्णय लेने में सुविधा होती है।

(ग) **अनवरत आस्तित्व:** कम्पनी विधि द्वारा सृजित एक कृत्रिम व्यक्ति है एवं इसे स्वतंत्र विधिक स्थिति प्राप्त है। यह अपने सदस्यों की मृत्यु होने, दिवालिया होने जैसी स्थिति इत्यादि से प्रभावित नहीं होती है। इस प्रकार इसका आस्तित्व सतत रहता है।

(घ) **विशाल आकार के परिचालनों के लाभ:** संयुक्त स्टॉक कम्पनी व्यवसाय संगठन का एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो विशाल आकार के परिचालनों के लिए पूंजी उपलब्ध करवा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, विशाल स्तर के उत्पादों की निरंतरता बनी रहती है जिससे कौशल में वृद्धि होती है एवं परिचालनों की लागत में भी कमी आती है। इससे कार्यक्षेत्र का विस्तार की गुंजाइश बढ़ जाती है।

(ङ) **चलनिधि:** अंशों की अंतरण योग्यता निवेशकों के लिए एक संवर्धित प्रोत्साहन है क्योंकि किसी पब्लिक कम्पनी के अंशों का व्यापार सरलता से एनएसई एवं बीएसई जैसी स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से किया जा सकता है। लोगों के पास निवेश के लिए जब धन होता है तो वे अंश खरीद सकते हैं तथा धन की आवश्यकता होने पर इन्हें नकदी में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए डीमेट खाता खोला जाना आवश्यक होता है।

(च) **व्यवसाय प्रबंधन:** कम्पनियों के व्यवसाय की प्रकृति जटिल होने एवं व्यवसाय का आकार अति विशाल होने के कारण कम्पनियों को अपने संगठन में प्रत्येक स्तर के लिए व्यवसाय प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय एवं वित्तीय स्थिति का आकार बड़ा होने से वे ऐसे प्रबंधकों की नियुक्ति वहन कर सकते हैं। इससे कम्पनी के कार्यों का प्रबंधन कुशलतापूर्वक हो पाता है।

(छ) **अनुसंधान एवं विकास:** कम्पनी अपने उत्पादों के उन्नत संसाधन, डिजाइनिंग एवं उत्पादों को नव स्वरूप प्रदान करने, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने, अपने कर्मचारियों को नए प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने इत्यादि के लिए सामान्यत: अनुसंधान एवं विकास पर काफी धन का निवेश करती है।

(ज) **कर लाभ:** कम्पनियों से काफी उच्च दर पर कर भुगतान की अपेक्षा होते हुए भी आयकर अधिनियम के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध अनेक प्रकार की कर रियायतों के कारण वस्तुत: उनका कर भार कम होता है।

5.5 संयुक्त स्टॉक कम्पनी की बाध्यताएं

ऊपर विचार में लिए गए संयुक्त स्टॉक कम्पनी के विभिन्न गुणों के बावजूद भी व्यवसाय संगठन के इस स्वरूप के सम्मुख अनेक प्रकार की बाध्यताएं भी होती हैं। प्रमुख बाध्यताओं का विवरण नीचे दिया गया है:-

(क) गठन में कठिनाई : किसी कम्पनी के गठन के लिए कम्पनी अधिनियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले अन्य नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत अनेक प्रकार की विधिक औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं।

(ख) समूह द्वारा नियंत्रण : सैद्धांतिक रूप से कम्पनी का प्रबंधन प्रशिक्षित एवं अनुभवी निदेशकों द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है। परन्तु कुछ मामलों में व्यावहारिक रूप में ऐसा नहीं हो पाता है। अधिकांश कम्पनियों का प्रबंधन एक ही परिवार से सम्बद्ध निदेशक करते हैं। अधिकांश अंशधारक विभिन्न स्थलों पर तितर बितर होने के कारण कम्पनी के प्रबंधन के प्रति उनका रवैया भिन्न प्रकार का होता है। अधिकतम अंशों का धारण करने वाले अंशधारक कम्पनी की ओर से सभी निर्णय लेते हैं। इस प्रकार, कम्पनी का किसी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक स्वरूप का व्यावहारिक रूप में आस्तित्व नहीं होता है।

(ग) अत्यधिक सरकारी प्रभुत्व: कम्पनी से अनेकों अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन किए जाने की अपेक्षा होती है। इनका अनुपालन न किए जाने पर भारी जुर्माने प्रत्यारोपित किए जाते हैं। इससे कम्पनियों का निर्बाध संचलन प्रभावित होता है।

(घ) निर्णय निर्धारण में देरी : कम्पनी से अपने कुछ निर्णय लेने से पूर्व निदेशक मंडल तथा / अथवा अंशधारकों की आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करने जैसी कुछ प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने की गई है। ऐसी औपचारिकताओं में समय लगता है जिससे कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में समय लगता है।

(ङ) गोपनीयता का अभाव : निदेशक मंडल तथा/अथवा आम सभा में अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा वाले कुछ मामलों में गोपनीयता को बरकरार रखना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि इनकी प्रक्रियाएं सामान्यत: सार्वजनिक होती हैं।

(च) सामाजिक दुरूपयोग: संयुक्त स्टॉक कम्पनी एक बड़े आकार का व्यवसाय संगठन होती है जिसके संसाधन काफी विशाल होते हैं। इससे उन्हें कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं तथा ऐसी शक्तियों का किसी भी स्वरूप में दुरूपयोग समाज में किसी विशिष्ट व्यवसाय, उद्योग अथवा उत्पाद के संबंध में एकाधिकार होने; अपने कार्य के संबंध में राजनैतिक तथा सरकारी दबाव होने; कामगारों, ग्राहकों एवं निवेशकों इत्यादि का शोषण करने आदि जैसी अस्वास्थ्यकर स्थितियां उत्पन्न होती हैं।

पाठगत प्रश्न-5.2

1. श्री मोहित ने एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में 2 लाख रुपए का निवेश किया था। एक वर्ष के पश्चात उनका ध्यान इस ओर गया कि कम्पनी अच्छा निष्पादन नहीं कर रही है तथा बाजार में कम्पनी के अंश का मूल्य कम हो रहा है। उन्हें यह प्रतीत हुआ कि यदि यह स्थिति जारी रही तो वे अपने 2 लाख रुपए गंवा बैठेंगे और कम्पनी के

दायित्वों की पूर्ति के लिए अपेक्षा होने पर उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ सकता है। क्या मोहित जी ऐसा विचार करना सही है? अपने उत्तर के समर्थन में कृपया कारणों का उल्लेख करें।

2. हम नीचे संयुक्त स्टॉक कम्पनी की कुछ विशिष्टताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया इनमें से यह पहचान करें कि कौन-सी विशिष्टताएं पब्लिक लिमिटेड कम्पनी से संबंधित हैं और कौन-सी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से संबंधित हैं :

(क) इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 हो सकती है।

(ख) इसकी शुरूआत न्यूनतम सात सदस्यों के साथ की जा सकती है।

(ग) इसके अंशधारक अपने अंशों का अंतरण नहीं कर सकते हैं।

(घ) यह सर्वसाधारण को अपने अंशों में अंशदान के लिए आमंत्रित कर सकती है।

3. नीचे कुछ विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। यदि नीचे दिया गया कोई विवरण गुणवाचक है तो कृपया वाक्यांश के अंत में 'गुण' लिखें तथा यदि यह किसी संयुक्त स्टॉक कम्पनी की बाध्यता है तो वाक्यांश के अंत में ''बाधा'' लिखें।

(क) संयुक्त स्टॉक कम्पनी के सदस्यों के दायित्व सीमित होते हैं।

(ख) पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के अंशों का व्यापार सरलता से स्टॉक एक्सचेंजो में किया जा सकता है।

(ग) संयुक्त स्टॉक कम्पनी के गठन के लिए अनेकों विधिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं।

(घ) कम्पनी के सभी निर्णयों का निर्धारण अंशों का अधिकतम धारण करने वाले अंशधारक करते हैं।

(ङ) कम्पनी उत्पाद के उन्नत संसाधन, डिजाइनिंग एवं नए प्रकार के उत्पादों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास पर बड़ी राशि का व्यय कर सकती है।

5.6 संयुक्त स्टॉक कम्पनी की उपयुक्तता

संयुक्त स्टॉक कम्पनी की उपयुक्तता वहां होती है जहां व्यवसाय का परिमाण काफी बड़ा हो, परिचालन का क्षेत्र काफी विस्तारित हो, अंतर्निहित जोखिम काफी उच्चतर हों एवं विशाल वित्तीय संसाधनों एवं जनशक्ति की आवश्यकता हो। जहां परिचालनों के लिए व्यावसायिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है वहां भी इसकी उपयुक्तता है। बैंकिंग एवं बीमा जैसे कुछ व्यवसायों के लिए संयुक्त स्टॉक कम्पनी का स्वरूप काफी बेहतर माना गया है। आजकल, बड़े आकार के परिचालनों के लिए यह स्वरूप उत्तम होने के कारण ही व्यवसाय के अधि कांश क्षेत्रों के लिए इसे तरजीह दी जाती है ।

5.7 व्यवसाय के उचित स्वरूप का निर्धारण

आप व्यवसाय स्वामित्व के विभिन्न स्वरूपों यथा एकल स्वामित्व, संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय एवं सहकारी समिति का अध्ययन पहले ही कर चुके हैं। आपका ध्यान निश्चित ही इस ओर गया होगा कि किसी व्यवसाय संगठन के किसी विशिष्ट स्वरूप से सभी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। कुछ एक के लिए वित्तीय एवं प्रबंधन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है जबकि अन्यों में बड़े जोखिम व्याप्त होते हैं। यही एक ऐसा कारण है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में व्यवसाय संगठनों के विभिन्न स्वरूप व्याप्त हैं। इस प्रकार, व्यवसाय संगठन के सही स्वरूप का निर्धारण करते समय हम विभिन्न कारकों का विश्लेषण करके अपनी वित्तीय एवं प्रबंधन क्षमताओं के अनुरूप अत्यधिक उचित स्वरूप का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। अब आगे हम उन कारकों पर विचार करेंगे जो व्यवसाय संगठन के सही स्वरूप का निर्धारण करने में हमारे लिए सहायक हो सकते हैं।

(क) सुगम गठन : एकल व्यापारी किसी भी समय अपनी पसंद के अनुरूप व्यवसाय का प्रारंभ तथा समापन कर सकता है। साझेदारी के लिए परस्पर विश्वास एवं सत्यनिष्ठा की अपेक्षा काफी अधिक होती है। अपने गठन के लिए कम्पनी को अनेक विधिक औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इस प्रकार एकल स्वामित्व का गठन सर्वाधिक सरलता से किया जा सकता है।

(ख) विशाल संसाधनों की उपलब्धता : यदि स्वामी के पास पर्याप्त संसाधन एवं प्रबंधन की क्षमता है तो एकल - व्यक्ति व्यवसाय संसार में सर्वाधिक उत्तम माना गया है। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि एकल व्यक्ति अपने सीमित संसाधनों एवं सीमित प्रबंधन क्षमता के कारण बड़े व्यवसाय नहीं कर पाता है। साझेदारी के लिए भी साझेदारों के वित्तीय संसाधन सीमित होते हैं। तदनुसार, केवल कम्पनी ही विशाल पूंजी की उत्पति एवं बड़े व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता की पूर्ति कर सकती है।

(ग) दायित्व अथवा जोखिम : हमें यह ज्ञात है कि एकल स्वामित्व एवं साझेदारी फर्म, दोनों, के मामले में सदस्यों के दायित्व असीमित होते हैं तथा कम्पनी एवं सहकारी समितियों के मामले में सीमित होते हैं। बड़ा जोखिम उठाने के प्रति हिचक होने के कारण सदस्य कम्पनी में निवेश करना अधिक पसंद करते हैं।

(घ) स्थायित्व : किसी भी व्यापार में सफलता के लिए स्थायित्व अत्यावश्यक है। किसी कम्पनी अथवा सहकारी समिति का आस्तित्व उसके सदस्यों के स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। एकल स्वामित्व एवं साझेदारी वाली कम्पनियां भंग हो सकती हैं परन्तु कम्पनी स्वरूप का कोई संगठन अपने किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा दिवालिया हो जाने पर भी चलता रहता है।

(ङ) लोचकता: किसी व्यवसाय का उत्तम स्वरूप उसके परिचालनों में व्याप्त लचीलापन होता है। अपने क्रियाकलापों के निर्बाध संचलन के लिए निर्णय निर्धारण तीव्रता के साथ एवं कार्यान्वयन मुस्तैदी के साथ किया जाना चाहिए। क्रियाकलापों के प्रति किसी भी प्रकार की दृढ़ता न तो व्यवसाय की उत्तरजीविता और न ही विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। जब कभी और अधिक वित्तीयन की आवश्यकता होती है तब कम्पनी में बेहतर लोचकता का समागम होता है। आवश्यकता के अनुरूप यह अधिक पूंजी की उत्पति कर सकती है और नए सदस्यों को अपने साथ जोड़ सकती है। साझेदारी के मामले में सदस्यों की संख्या को कभी भी 50 से अधिक नहीं किया जा सकता है। एकल स्वामित्व के मामले में केवल एक स्वामी होता है तथा उसमें वित्त की उपलब्ध ता सीमित होती है।

परन्तु एकल स्वामित्व के परिचालनों में लोचकता सर्वाधिक होती है। साझेदारी की तरह स्वामी को अपने किसी सदस्य से अनुमोदन प्राप्त करना नहीं पड़ता है अथवा कम्पनी की तरह स्वामी को अधिनियम के किसी प्रावधान का अनुपालन नहीं करना होता है। इस प्रकार, एकल स्वामित्व के मामले में व्यवसाय अथवा परिचालनों की प्रकृति में बदलाव सरलता से किए जा सकते हैं।

(च) गोपनीयता: एकल व्यापारी अपने समग्र व्यापार का स्वामी होता है। उसे अपने गोपनीय तथ्य किसी के साथ भी साझा नहीं करने होते हैं। साझेदारी का गठन पारस्परिक कारकों के आधार पर होता है जिससे सभी साझेदारों को व्यवसाय के बारे में सब कुछ जानने का अधिकार होता है। कम्पनी को अनेक दस्तावेज फाइल करने होते हैं तथा उसे अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी पड़ती है। तदनुसार, कम्पनी के मामले में गोपनीयता का स्तर न्यूनतम होता है।

(छ) सरकारी नियंत्रण का प्रसार: सरकारी विनियमों के अनुपालन को पूरी तरह से नकार पाना संभव नहीं होता है, इसलिए उद्यमी सदैव व्यवसाय संगठन के उस स्वरूप का चयन करते हैं जिनमें सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो। कंपनी को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व विधिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। गठन के बाद भी विभिन्न प्रकार के विधिक प्रावधानों का अनुपालन करना पड़ता है। एकल स्वामित्व और साझेदारी के मामले में सरकारी नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है।

पाठगत प्रश्न-5.3

1. संयुक्त स्टॉक कम्पनी की उपयुक्तता वहां होती है जहां व्यवसाय का स्तर काफी बड़ा हो, परिचालन का क्षेत्र काफी विस्तारित हो, अंतर्निहित जोखिम काफी उच्चतर हों। ऐसी अन्य और कौन सी स्थितियां हैं जिनमें संयुक्त स्टॉक कम्पनी अधिक उपयुक्त होती है? किन्हीं भी दो स्थितियों का वर्णन करें।

2. ऐसे अनेक कारक हैं जिनसे व्यवसाय संगठन के विशिष्ट स्वरूप का निर्धारण किया जा सकता है। नीचे दिए गए कारकों को विचार में लेकर उनके आगे एकल स्वामित्व अथवा संयुक्त स्टॉक कम्पनी जैसे संगठन के स्वरूप का नाम लिखें :

(क) यह बड़े व्यवसाय के प्रबंधन के लिए विशाल पूंजी की उत्पति एवं विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त कर सकती है।

(ख) गोपनीयता का सर्वाधिक अनुरक्षण किया जा सकता है।

(ग) सरकारी नियंत्रण काफी सीमित होता है।

(घ) इसके किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा दिवालिया हो जाने से इसका आस्तित्व प्रभावित नहीं होता है।

(ङ) इसके परिचालनों में लोचकता सर्वाधिक होती है।

5.8 कम्पनी का गठन

कम्पनी का गठन व्यवसाय को कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करके किया जा सकता है। कम्पनी के निगमन की प्रक्रिया से कम्पनी का गठन होता है। कम्पनी के निगमन के लिए विभिन्न कारक एवं विधिक दस्तावेज अपेक्षित होते हैं। आसान समझ के लिए कम्पनी के गठन की पूर्ण प्रक्रिया को निम्नानुसार चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है:-

(i) प्रवर्तन चरण

(ii) पंजीकरण / निगमन चरण

(iii) पूंजी अंशदान चरण

(iv) व्यवसाय प्रारंभ चरण

आइए, हम कम्पनी के गठन के इन सभी चरणों के बारे में चर्चा करते हैं:-

5.8.1 प्रवर्तन चरण

व्यवसाय के लिए कम्पनी का स्वरूप स्वयं अपने आप ही उत्पन्न नहीं होता है। कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसके कारण इसकी उत्पति के लिए व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूहों अथवा संस्थागत प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसा होने से यह किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से प्रवर्तिक होती है। प्रवर्तन की प्रक्रिया करने वाले व्यक्तियों को प्रवर्तक कहा जाता है । इस चरण के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है:-

(i) **विचार का अंवेषण:** प्रवर्तन की प्रक्रिया विचार की उत्पति से प्रारंभ होती है तथा विचार की प्रक्रिया का समापन तब होता है जब उसके कार्यान्वयन का खाका तैयार हो जाता है।

(ii) कार्यवाही करना: केवल विचार की उत्पति ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु इसके लिए कार्यान्वयन की रूपरेखा भी तैयार करनी होती है। रूपरेखा के निर्माण के लिए विस्तृत अंवेषण करना पड़ता है जिसके लिए बाजार में उपलब्ध सही स्रोतों से अपेक्षित जानकारी का एकत्रण अत्यंत आवश्यक है। तदनुसार, कम्पनी के संसाधनों को एकत्र करना एवं उनका सुरक्षित संग्रह करना तथा कम्पनी के गठन के लिए इन्हें तैयार करना अत्यावश्यक है।

(क) प्रवर्तक कौन होते हैं?

व्यवसाय के प्रवर्तन से संबंधित व्यक्ति को प्रवर्तक कहा जाता है। वह व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए विचार की उत्पति करता है एवं उद्यम का आस्तित्व स्थापित करने के लिए अपेक्षित सभी प्रक्रियाएं करता है। उदाहरण के तौर पर; रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवर्तन धीरूभाई अम्बानी हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(69) में प्रवर्तक शब्द की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है-

i. जिसको प्रास्पेक्टस में उस रूप में नामित किया गया है या धारा 92 में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी में कम्पनी द्वारा परिचित कराया जाता है; या

ii. जिसका कम्पनी के कामकाज पर प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, चाहे किसी अंश धारक, निदेशक के रूप में या अन्यथा, नियंत्रण है; या

iii. जिसकी सलह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कम्पनी का निदेशक, बोर्ड कार्य करने का अभ्यस्त है।

प्रवर्तन धन का संग्रह करने, व्यवसाय के विचारों का अंवेषण करने, वित्त की व्यवस्था करने, संसाधन एकत्र करने एवं कार्यशील संस्थान की स्थापना की विधियों का अंवेषण करता है। कम्पनी अधिनियम में प्रवर्तक को कोई विधिक स्तर प्रदान नहीं किया गया है। उसकी स्थिति एक न्यासी के रूप में होती है।

5.8.2 पंजीकरण चरण

पंजीकरण से ही कम्पनी का आस्तित्व स्थापित होता है। कम्पनी का सही मायनों में गठन तब होता है जब यह कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो जाती है।

पंजीकरण की प्रक्रिया: कम्पनी का पंजीकरण करने के लिए कम्पनी पंजीयक के पास निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं:-

(क) संगम ज्ञापन : पब्लिक कम्पनी के लिए इस पर न्यूनतम 7 व्यक्तियों एवं प्राइवेट कम्पनी के लिए 2 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित होते हैं। यह दस्तावेज विधिवत मोहर लगा हुआ होना चाहिए।

(ख) संगम अनुच्छेद: इस दस्तावेज पर उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर अपेक्षित होते हैं जिन्होंने संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) निदेशकों की सूची: नाम, पते एवं व्यवसाय के उल्लेख के साथ निदेशकों की सूची तैयार करके कंपनी पंजीयक के सम्मुख प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

(घ) निदेशकों की लिखित सहमति: निदेशकों से इस आशय की एक लिखित सहमति अपेक्षित होती है कि वे पंजीयक के सम्मुख की गई प्रस्तुति के अनुसार निदेशक के कार्य करने के लिए सहमत हैं तथा इसके साथ इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि वे अर्हक अंशों की प्राप्ति करेंगे तथा उसका भुगतान करेंगे।

(ङ) पंजीकृत कार्यालय के पते की सूचना: व्यावहारिक रूप से निगमन के समय कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते की सूचना भी प्रस्तुत की जानी भी अपेक्षित है। यह निगमन की तिथि के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होती है।

(च) सांविधिक घोषणा: इस आशय की एक सांविधिक घोषणा भी प्रस्तुत करनी अपेक्षित है कि इस अधिनियम एवं पंजीकरण के संबंध में इससे संबंधित सभी नियमों की अपेक्षाओं का पालन; तथा इससे पूर्ववर्ती अथवा आनुषंगिक मामलों का समेकन कर लिया गया है। इस सांविधिक घोषणा पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित हैं:

i. सर्वोच्च न्यायालय का कोई वकील, अथवा

ii. उच्च न्यायालय का कोई वकील, अथवा

iii. उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का पात्र कोई एटार्नी अथवा अधिवक्ता

iv. भारत में प्रेक्टिस कर रहा कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट, जो कम्पनी गठन के कार्यों से जुड़ा हुआ हो, अथवा

v. ऐसे किसी व्यक्ति, जो अनुच्छेद में किए गए उल्लेख के अनुसार कम्पनी का निदेशक, प्रबंध निदेशक, सचिव अथवा प्रबंधक हो, द्वारा इस उल्लेख के साथ कि अधिनियम एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों की अपेक्षाओं का समेकन कर लिया गया है। इसे कम्पनी पंजीयक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

निर्धारित शुल्क के साथ पंजीयक के सम्मुख अपेक्षित दस्तावेज करने के पश्चात पंजीयक द्वारा दस्तावेजों की संवीक्षा की जाती है। पंजीयक की संतुष्टि के पश्चात कम्पनी का नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इसके पश्चात पंजीयक द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है जिसे निगमन का प्रमाणपत्र कहा जाता है।

5.8.3 निगमन का प्रमाणपत्र

प्रस्तुत दस्तावेजों की संवीक्षा और अपेक्षित शुल्क चुकता किए जाने एवं अन्य सभी विधिक

अपेक्षाएं पूरी किए जाने के प्रति संतुष्टि के पश्चात पंजीयक कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर में दर्ज करते है और अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणन करता है कि कम्पनी का निगमन कर लिया गया है तथा यदि कम्पनी एक लिमिटेड कम्पनी है तो कम्पनी के लिमिटेड होने का प्रमाणन करता है।

इसके पश्चात वे निर्धारित फार्म में अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी करके कम्पनी के निगमन का प्रमाणन करते हैं। प्रमाणपत्र में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है:-

i. कम्पनी का नाम ,

ii. जारी करने की तिथि, तथा

iii. अपनी मोहर के साथ पंजीयक के हस्ताक्षर

निगमन प्रमाणपत्र कम्पनी का एक प्रकार से जन्म प्रमाणपत्र होता है तथा कम्पनी एक संकाय निगमित हो जाती है। निगमन के प्रमाणपत्र में दी गई तिथि को कम्पनी के आस्तित्व में आने की तिथि माना जाता है।

निगमन पहचान संख्या का आबंटन (सीआईएन) : पंजीयक द्वारा कम्पनी को एक सीआईएन आबंटित किया जाता है, जो कम्पनी की एक विशिष्ट पहचान होती है और इसका समावेश प्रमाणपत्र में किया जाता है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा पंजीयक के डिजीटल हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रानिक रूप से निगमन प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति दी गई है।

5.8.4 व्यवसाय के प्रारंभ का प्रमाणपत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 11 का कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से विलोपन किया गया है जिससे सभी कम्पनियों, निजी अथवा सार्वजनिक, को निगमन का प्रमाणपत्र प्राप्त होने के तत्काल पश्चात से व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त हो गई है।

5.9 बहुराष्ट्रीय कम्पनी

अपने रोजमर्रा के जीवन में हम भारत एवं विदेश में निर्मित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। विदेशी माल या तो हमारे देश में आयात के माध्यम से प्राप्त होता है अथवा विदेशी कम्पनियां ऐसे माल का उत्पादन हमारे देश में करती हैं। आप निश्चित ही यह विचार कर रहे होंगे कि विदेशी कम्पनियां हमारे देश में क्यों आ रही हैं। वस्तुत: वे भारत में माल एवं सेवाओं का उत्पादन करने तथा/अथवा अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए आती हैं। इसी प्रकार भारतीय कम्पनियां भी अपना व्यवसाय हमारे देश की सीमाओं के बाहर विस्तारित करती हैं। इसे वैश्वीकरण कहा जाता है, जिसका अर्थ है वैश्विक बाजारों की खोज के लिए देश की सीमाओं से आगे आर्थिक क्रियाकलापों का विस्तार करना।

टिप्पणी

5.9.1 बहुराष्ट्रीय निगम का अभिप्राय एवं प्रमुख विशेषताएं

साधारण शब्दों में, बहुराष्ट्रीय निगम (जिसे बहुराष्ट्रीय कम्पनी भी कहा जाता है) का अर्थ वह कम्पनी है जो एक कम्पनी के रूप में किसी एक देश में पंजीकृत है परन्तु वह अपने व्यवसाय अन्य अनेक देशों में फैक्टरियों, शाखाओं अथवा सहायक कम्पनी यूनिटों की स्थापना के माध्यम से करती है। ऐसी कम्पनी किसी एक अथवा अधिक देशों में माल की उत्पति अथवा सेवाओं का व्यवस्थापन कर सकती है और उनकी बिक्री उसी अथवा किसी अन्य देश में कर सकती है। निश्चित ही आपने भारत में व्यवसाय कर रही अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (एमएनसी) के बारे में सुना होगा, जैसे हुण्डई मोटर कम्पनी, कोका कोला कम्पनी, सोनी कार्पोरेशन, मैकडोनाल्ड कार्पोरेशन, सिटी बैंक इत्यादि।

ऐसी सभी कम्पनियां सामान्यत: अनेक देशों में अपने उत्पादन, विपणन एवं अन्य प्रक्रियाएं करती हैं। उनकी बिक्री, कमाए जाने वाले लाभ एवं उनके पास धारित सम्पतियों का मूल्य भी सामान्यत: काफी विशाल होता है। उन्होंने हमारे देश में, और साथ ही साथ अन्य देशों में भी, अपनी शाखाएं एवं सहायक कम्पनी यूनिटें स्थापित की हैं। ऐसी कम्पनियों का नियंत्रण उनके गृह देश में स्थित मुख्यालय से होता है जो इनके द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए विस्तृत नीतियां निर्धारित करती हैं।

वैश्विक उद्यम की प्रमुख विशेषताएं (एमएनसी)

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. **केन्द्रीकृत प्रबंधन:** किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी का मुख्यालय उसके अपने गृह देश में होता है। अन्य देशों में किए जाने वाले व्यवसाय का प्रबंधन मुख्यालय से नियंत्रित होता है। सभी शाखाओं और सहायक कम्पनियों को मुख्यालय द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार ही अपने कार्य करने होते हैं।
2. **विश्वव्यापी व्यवसाय प्रसार:** बहुराष्टीय कम्पनी के व्यवसाय अनेक देशों में विस्तारित होते हैं। ऐसी कम्पनी अपने मेजबान देश में व्याप्त स्थानीय स्थितियों का पूरी तरह से दोहन करती हैं। इनमें सस्ती मजदूरी की उपलब्धि एवं कच्चे माल का उपयोग शामिल है:-
3. **बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादन:** बहुराष्ट्रीय कम्पनी को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जिससे यह अपने उत्पादों की गुणवत्ता की ओर विशेष ध्यान देती हैं।
4. **विशाल आकार:** बहुराष्ट्रीय कम्पनी की सम्पतियां अत्यधिक विशाल होती हैं। आईबीएम की सम्पतियों का मूल्य लगभग 8 बिलियन डालर है। इसी प्रकार एक और कम्पनी आईटीटी की 70 देशों में 800 शाखाएं हैं।
5. **अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच:** अपने अनेक प्रकार के उत्पादों, माल की गुणवत्ता, बड़े स्तर पर अनुसंधान, माल विपणन की सुविधाओं इत्यादि के कारण बहुराष्ट्रीय

कम्पनी आसानी से अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित कर लेती है।

6. **विज्ञापन की ओर विशेष ध्यान:** बहुराष्ट्रीय कम्पनी विज्ञापन की ओर विशेष ध्यान देती है। इनकी सफलता का रहस्य यही है।

5.9.2 बहुराष्ट्रीय निगम के लाभ

अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर विशाल स्तर पर उत्पादन एवं वितरण गतिविधियों के कारण बहुराष्ट्रीय निगम विशाल आय के साथ साथ अनेक प्रकार के लाभों की प्राप्ति करते हैं। इसी के साथ साथ, वे मेजबान देश भी, जहां ये बहुराष्ट्रीय निगम अपनी प्रक्रियाएं करते हैं, अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे लाभ निम्नलिखित हैं:

(क) **विदेशी पूंजी में निवेश:** बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा पूंजी में प्रत्येक निवेश करने से विकासशील देशों के आर्थिक विकास को गति प्राप्त होती है।

(ख) **रोजगार की उत्पति:** बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करने रोजगार की उत्पति के अवसर उत्पन्न होते हैं जिससे मेजबान देशों में जीवन यापन के मानकों में सुधार आता है।

(ग) **उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग:** अपने वृहद संसाधनों के साथ बहुराष्ट्रीय निगम अनुसंधान एवं विकास की प्रक्रियाएं करते हैं जिससे उत्पादन के संसाधन की विधियों में सुधार आता है और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ती है। धीरे धीरे, अन्य देश भी ऐसी प्रौद्योगिकी को अंगीकार कर लेते हैं।

(घ) **सहायक यूनिटों का विकास:** बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप मेजबान देशों में सामग्रियों एवं सेवाओं के आपूर्तिकता एवं सहायक उद्योग धीरे धीरे पनपने लगते हैं ।

(ङ) **निर्यात एवं विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह में बढ़ोतरी:** मेजबान देशों में तैयार किया जाने वाला माल कभी कभार बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निर्यात किया जाता है। इससे उत्पन्न होने वाली विदेशी मुद्रा से मेजबान देशों का विदेशी मुद्रा राजकोष बढ़ता है।

(च) **स्वस्थकारी प्रतिस्पर्धा:** बहुराष्ट्रीय निगमों के उत्पादों की गुणवत्ता के कार्य कौशल की देखा देखी घरेलू उत्पादक भी बाजार में अपने आस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने निष्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं।

5.9.3 बहुराष्ट्रीय निगमों की बाध्यताएं

निस्संदेह, ऊपर चर्चा किए गए लाभ मेजबान देशों के लिए काफी लाभकारी हैं। परन्तु बहुराष्ट्रीय निगमों की कुछ बाध्यताएं भी होती है जिनकी ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(क) **मेजबान देशों की प्राथमिकताओं के प्रति लापरवाही:** बहुराष्ट्रीय निगम सामान्यत: अपनी पूंजी का निवेश अधिक लाभकारी उद्योगों में करते हैं तथा वे विकासशील देशों

के बुनियादी उद्योग की प्राथमिकताओं एवं मेजबान देश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अपेक्षित सेवाओं की ओर ध्यान नही देते हैं।

(ख) **देशीय उद्यमों पर प्रतिकूल प्रभाव:** बड़े स्तर के परिचालनों एवं प्रौद्योगिकीय कौशल के कारण बहुराष्ट्रीय निगम मेजबान देश के बाजारों को हतोत्साहित करके वहां अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। ऐसे होने से अनेक उद्यम पूरी तरह से बंद हो जाते हैं।

(ग) **सांस्कृतिक परिवर्तन:** बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मेजबान देशों में जो उपभोक्ता माल प्रस्तुत किया जाता है वह सामान्यत: स्थानीय सांस्कृतिक मापदंडों के अनुसार नहीं होता है। जिससे लोगों में स्वयं अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं से हटकर भिन्न खान-पान एवं वेशभूषा के उपभोग की आदत पनपने लगती है।

5.10 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसमें दो अथवा अधिक स्वतंत्र फर्में पूंजी का योगदान करती हैं और व्यवसाय परिचालनों में भागीदारी करती हैं। ये दो संगठन निजी अथवा सरकारी संगठन अथवा विदेशी कम्पनी हो सकते हैं। संयुक्त उद्यम में व्यावसायिक संगठन एक विशिष्ट उद्देश्य से जुड़ते हैं। संयुक्त उद्यम से प्राप्त होने वाले लाभ एवं प्रतिफलों को संगठनों द्वारा साझा किया जाता है । उदाहरण के तौर पर भारत की मारूती लिमिटेड एवं जापान की सुजुकी लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम करके मारूती सुजुकी इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया है जो एक संयुक्त उद्यम है।

संयुक्त उद्यम की विशेषताएं

1. **उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच :** जब दो अथवा अधिक कम्पनियां एक साथ जुड़ती हैं तो उनकी पहुंच उत्पादन की अद्यतन विधियों तक हो जाती है। इससे लागत में कमी आती है तथा उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आता है और उत्पादन बढ़ जाता है।
2. **पूंजी का इष्टतम उपयोग :** संयुक्त उद्यम पूंजी के इष्टतम उपयोग में सहायक हैं। पूंजी एवं अन्य संसाधनों का अपशिष्ट न्यूनतम होता है।
3. **संसाधनों एवं विशेषज्ञता का संयोजन :** दो अथवा अधिक कम्पनियों के संसाधन संयुक्त उद्यम का गठन करके एक साथ प्रभावी ढंग से उपयोग में लाए जा सकते हैं। इससे बड़े स्तर के उत्पादन में मदद मिलती है तथा बड़े स्तर के उत्पादन के अर्थशास्त्र के लाभ प्राप्त होते हैं।
4. **नवोपाय :** अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में दो उद्यमों के विचारों एवं प्रौद्योगिकी से नए प्रकार के विचार उत्पादों के नवोपाय खोजने में सहायता मिलती है।

5. **जोखिम एवं प्रतिफलों का सहभाजन :** एक साथ मिलकर संयुक्त उद्यम का गठन करने वाले उद्यम बड़े हुए लाभ के रूप में प्रतिफलों का सहभाजन करते हैं। संयुक्त उद्यम के भागीदारों को व्यवसाय में उत्पन्न होने वाले जोखिम भी साझा करने पड़ते हैं।

5.11 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

सार्वजनिक निजी भागीदारी का अर्थ सरकारी सेक्टर एवं निजी सेक्टर के मध्य वित्तीयन, डिजाइनिंग तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की साझेदारी होना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी में निजी सेक्टर धन, विशेषज्ञता एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान के रूप में अपना योगदान कर सकता है । बिजली, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अपशिष्ट प्रबंधन जैसी अवसंरचनाओं का अनुरक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाता है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी की प्रमुख विशेषताएं

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं सार्वजनिक लाभ के लिए होती हैं।
2. सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान सरकार इसमें सक्रिय रूप से भागीदार होती है।
3. सार्वजनिक निजी भागीदारी का उपयोग मुख्यत: उच्च प्राथमिकता वाली सरकारी परियोजनाओं के लिए किया जाता है।
4. सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की निधियों, विशेषज्ञता एवं अनुभव का मिश्रण होता है।
5. सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना में उत्तरदायित्व का भार एवं जोखिम के स्तर को निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बीच साझा किया जाता है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी के गुण

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी की अभिमुखता से परियोजना के कार्यान्वयन तीव्र गति से होते हैं।
2. निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषज्ञता का मिश्रण होने से उच्चतर गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की प्राप्ति सुगम हो जाती है।
3. कुशल प्रबंधन व्यवहारों के कारण लागतों में कमी आती है।
4. सार्वजनिक निजी भागीदारी में जोखिम का सहभाजन सरकार एवं निजी क्षेत्र में विभाजित किया जाता है।
5. सार्वजनिक निजी भागीदारी में निधियों का निवेश सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में किया जाता है जिससे सरकार के सम्मुख ऋण पर धन जुटाने की समस्या नहीं होती है।
6. लागत एवं सार्वजनिक सेवाओं की जवाबदेही सरकार की होती है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी के अवगुण

1. निजी क्षेत्र का लक्ष्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है जबकि सार्वजनिक कार्यों में ऐसी अभिमुखता वांछनीय नहीं होती है।
2. देश के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों के दुरूपयोग की संभावना रहती है।
3. कभी कभार सरकार एवं निजी फर्म के मध्य द्वंद्व होने के कारण महत्वपूर्ण परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती

पाठगत प्रश्न-5.4

1. बहुराष्ट्रीय निगम के सामान्य लक्षणों का उल्लेख करें।
2. कॉलम क के साथ कॉलम ख का मिलान करें

   (क) इसके गठन के लिए न्यूनतम संख्या के सदस्यों की आवश्यकता होती है:-

कॉलम क	कॉलम ख
1. सार्वजनिक कम्पनी	i. 2
2. निजी कम्पनी	ii. 7
3. साझेदारी (बैंकिंग व्यवसाय)	iii. 10

3. व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से अपेक्षित नहीं है? :-

   (क) संगम ज्ञापन

   (ख) संगम अनुच्छेद

   (ग) निगमन का प्रमाणपत्र

   (घ) व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र

4. कम्पनियों के पंजीकरण को निम्नलिखित भी कहा जाता है :-

   (क) कम्पनी का गठन

   (ख) कम्पनी की स्थापना

   (ग) कम्पनी का निगमन

   (घ) उपर्युक्त सभी

5. वह व्यक्ति जो प्रोत्साहन के कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है :

(क) आयोजक

(ख) प्रवर्तक

(ग) प्रोत्साहक

(घ) निदेशक मंडल

6. निम्नलिखित से किस दस्तावेज पर मोहर अवश्य लगी होनी चाहिए ?

(क) विवरण पुस्तिका

(ख) संगम ज्ञापन

(ग) संगम अनुच्छेद

(घ) संगम ज्ञापन एवं अनुच्छेद

5.12 निजी एवं सार्वजनिक उद्यमों की अवधारणा

आपको यह ज्ञात ही है कि आर्थिक विकास के दो पथ हैं जिनमें एक प्रत्यक्ष उत्पादक गतिविधियों के माध्यम से है जिनमें सरकार एवं निजी उद्यमी भी ऐसे उद्योगों की स्थापना की पहल करती है जो न केवल महत्वपूर्ण प्रकार के होते हैं अपितु आधार के निर्माण के लिए भी होते हैं क्योंकि इनके माध्यम से अन्य सम्बद्ध उत्पादन गतिविधियों का भी विकास हो सकता है। दूसरा, सामाजिक ओवरहैड पूंजी के माध्यम से है जैसे कि परिवहन सुविधाएं, बिजली सुविधाएं, जल सुविधाएं, मलजल निकासी सुविधाएं इत्यादि, जिनमें काफी बड़ा निवेश करना पड़ता है तथा जिनके न होने उत्पादन गतिविधियां धीमी हो जाती हैं। इस प्रकार, दोनों ही क्षेत्र अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। इस प्रकार, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र अत्यावश्यक हैं क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे आश्रित हैं। प्रारंभ में, भारत सरकार ने विदेशों के साथ सहकार्यता करके पांच इस्पात संयंत्र जैसे बुनियादी उद्योग स्थापित करके प्रत्यक्ष उत्पादक गतिविधियों में निवेश करने के मार्ग का चयन किया था। इसके पश्चात विकास की प्रक्रिया में तेजी आई थी।

आपने निजी सेक्टर उद्यमों के विभिन्न स्वरूपों जैसे एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म एवं कम्पनी का अध्ययन किया है जिनका प्रमुख उद्देश्य धन अर्जित करना होता है तथा समाज की सेवा को अधिक महत्व नहीं देते हैं। निजी सेक्टर ऐसे क्षेत्रों में कार्य नहीं करते हैं जहां लाभ की मात्रा अल्प अथवा न्यून होती है तथा वे सर्वसाधारण के प्रति सीधे जवाबदेह नहीं होते हैं। परन्तु कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निजी क्षेत्र से अपने पिछले तीन वर्ष के औसत लाभ का कम से कम 2% व्यय निगमित सामाजिक दायित्व के लिए किए जाने की अपेक्षा की गई है। तथापि, कर के रूप में वे राजस्व एवं देश आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं परन्तु सामाजिक विकास के लिए वे पूंजी का व्यय नहीं करते हैं जिसके बिना देश का

आर्थिक विकास संभव नहीं है। सम्पदा का वितरण न्यायसंगत रूप से होना चाहिए तथा ऐसा न होने से धनी और अधिक धनी एवं निर्धन और अधिक निर्धन होते बन जाते हैं। इस प्रकार, सरकार को राष्ट्रीय नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हुए सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना करनी चाहिए। सार्वजनिक उद्यम की उत्पत्ति का प्रारंभ बिंदु राष्ट्रीय नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा शासित होता है जिसमें शासन व्यवस्था के दिशासूचक सिद्धांत होते हैं परन्तु ये किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जाने योग्य नहीं होते हैं। ऐसे सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र का सामाजिक और आर्थिक मार्गदर्शन करते हैं और एक सच्चे कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये राष्ट्र का नियंत्रण करते हैं तथा ये अनुसरण के लिए नीतियों का निर्माण करने के साथ साथ राष्ट्र को कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करने के लिए साधन सम्पन्न बनाते हैं।

कुछ लोगों तक धन का संचय न होने की स्थिति से बचाव के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता और आजीविका के पर्याप्त साधनों की संकल्पना की गई है। दूसरे शब्दों में, इसमें समानता, स्वत्व एवं स्वतंत्रता की संकल्पना की गई है।

औद्योगिकी नीति संकल्पना, 1956 में देश के मिजाज एवं स्वर का निर्धारण किया गया है। प्रमुख एवं बुनियादी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखकर इसमें निजी उद्यमों से शासन व्यवस्था के समाजवादी पैटर्न का अनुसरण करने एवं इसके द्वारा की जाने वाली पहलों में योजनागत आर्थिक विकास के मापदंडों के दायरे में विकास के लिए प्रत्येक संभव अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की स्पष्ट मंशा की अभिव्यक्ति की गई है।

5.12.1 निजी क्षेत्र उद्यम

भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निजी क्षेत्र एक अनुपूरक भूमिका निभाता है। निजी उद्यम वे व्यवसाय है जिनका स्वामित्व निजी समूहों अथवा वैयक्तिकों के पास है। निजी उद्यमों के अंतर्ग विभिन्न प्रकार व्यवसाय एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समिति एवं कम्पनी के रूप में हैं। ये अपने स्वामित्व एवं वैयक्तिकों द्वारा संचालित व्यवसाय क्रियाकलाप करते हैं। निजी उद्यमों के व्यवसाय का लक्ष्य लाभ अर्जित करना होता है।

इसकी प्रमुख विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं :-

क) निजी स्वामित्व

ख) निजी प्रबंधन

ग) निजी वित्तीयन

घ) निजी लक्ष्य

ङ) निजी उत्तरदेयता

निजी उद्यम के गुण एवं अवगुण

	गुण	अवगुण
1.	निजी सेवाओं का स्वामित्व निजी उद्यमियों के पास होता है जिससे वे अपना संचालन सस्ता कर पाते हैं।	यदि कोई सार्वजनिक उद्यम लाभ नहीं कमाता है तो उसका भार आम करदाता पर पड़ता है।
2.	निजी उद्यमी का मजदूरी एवं सेवाओं की लागत पर अधिक नियंत्रण होता है।	यदि कोई सार्वजनिक उद्यम ऋणग्रस्त हो जाता है तो सरकार उसकी सहायता करती है जिससे कि जनता को सेवाएं प्राप्त होती रहें।
3.	वे अपनी संवहनीयता में सुधार के लिए भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं।	अर्थव्यवस्था के अनुसार सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी होती है।

5.12.2 सार्वजनिक उद्यम का अभिप्राय

पीयूयू अथवा पीएसयू कम्पनियों का अर्थ भारत की संघ सरकार अथवा अनेक राज्यों में से किसी एक राज्य अथवा क्षेत्रिक सरकार, अथवा दोनों, के स्वामित्व वाली भारतीय कम्पनियों का समूह है। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी में अधिकांश अंश (51% अथवा अधिक) का स्वामित्व केन्द्र अथवा राज्य सरकार के पास होता है। वर्तमान में ऐसे केवल तीन क्षेत्र हैं जो केवल सरकार के लिए आरक्षित हैं अर्थात रेलवे, परमाणु ऊर्जा एवं विस्फोटक पदार्थ के क्षेत्र। निजी क्षेत्रों / कम्पनियों को इन क्षेत्रों में परिचालन करने की अनुमति नहीं है।

भारत में, सार्वजनिक उद्यमों को राष्ट्रीय नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित कार्य को साकार करने का दायित्व सौंपा गया है जो आर्थिक शक्ति के संकेद्रण एवं निजी प्रभुत्व की रोकथाम करने एवं माल तथा सेवाओं का समान वितरण करने के सुनिश्चय के लिए व्यापार एवं उद्योग पर सामाजिक नियंत्रण करने में सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए है।

5.12.3 सार्वजनिक उद्यम की विशेषताएं

(क) सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण : सरकारी उद्यमों की स्थापना संसद द्वारा पारित विशेष अधिनियम अथवा कम्पनी अधिनियम अथवा अन्य अधिनियम के माध्यम से की जाती है। इनका स्वामित्व एवं प्रबंधन केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के पास होता है और यह सार्वजनिक प्राधिकरण के माध्यम से नियंत्रित होती है। सरकार सार्वजनिक उद्यम का पूर्ण स्वामित्व या तो अपने पास रख सकती है अथवा स्वामित्व का आंशिक भाग सरकार के पास होते हुए इसका आंशिक भाग निजी उद्योगपतियों

टिप्पणी

अथवा जनता के साथ साझा किया जा सकता है। किसी भी मामले में, प्राथमिक नियंत्रण, प्रबंधन एवं स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है। उदाहरण के तौर पर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक औद्योगिक संगठन है तथा इसकी आंशिक अंश पूंजी सार्वजनिक उपलब्ध करवाई गई है।

(ख) सरकार द्वारा वित्त पोषण : सार्वजनिक उद्यमों को अपनी पूंजी सरकारी निधियों से प्राप्त होती है जिसकी रेंज 50% से 100% के बीच होती है तथा सरकार को अपने आम बजट में इसकी पूंजी के लिए प्रावधान करने होते हैं।

(ग) सामाजिक - आर्थिक लक्ष्य : सरकारी उद्यम का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है तथा ये सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से होते हैं। उनका प्रमुख ध्यान सर्वसाधारण को औचित्यपरक मूल्य पर सेवाएं अथवा वस्तुएं उपलब्ध करवाना होता है। वे लाभ भी अर्जित करते हैं तथा सरकार को कर एवं लाभांश भी देते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अथवा गेल इंडिया लिमिटेड के उदाहरण आपके सम्मुख हैं। ये सर्वसाधारण को रियायती मूल्य पर पेट्रोलियम पदार्थ एवं गैस उपलब्ध करवाते हैं।

(घ) सार्वजनिक उत्तरदेयता : अपने निष्पादन के लिए ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संसद में उनके निष्पादन की रिपोर्ट की प्रस्तुति करते हैं।

(ङ) अत्यधिक औपचारिकताएं : सार्वजनिक उद्यमों को अपने परिचालनों के लिए सरकारी नियमों एवं विनियमों के अनुपालन की अत्यधिक औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इससे प्रबंधन के कार्य अत्यधिक संवेदनशील एवं जटिल हो जाते हैं।

(च) स्वायत्तता : सार्वजनिक उद्यम अपने परिचालनों के लिए स्वायत्तता अथवा अर्द्ध-स्वायत्तता का भोग करते हैं। सरकार उनके रोजमर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं।

5.12.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लक्ष्यों का संक्षेपण निम्नानुसार किया जा सकता है:

सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है:

क) अवसंरचना के सृजन एवं विस्तार के माध्यम से त्वरित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।

ख) विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की उत्पति करना

ग) आय एवं बहुलता के पुनर्वितरण को प्रोत्साहित करना

घ) रोजगार के अवसरों की उत्पति करना

ङ) संतुलित क्षेत्रीय विकास प्रोत्साहित करना

च) लघु क्षेत्र एवं आनुषंगिक उद्योगों का विकास प्रोत्साहित करना

छ) निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन में तेजी लाना

5.12.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के गुण एवं अवगुण

	गुण	अवगुण
1.	सेवाओं का नियंत्रण सार्वजनिक होता है जिससे लाभ का मार्जिन कम रखा जाता है।	जो भी धन उपयोग में लाया जाता है वह करदाता की जेब से जाता है जिससे धन का उचित उपयोग नहीं हो पाता है।
2.	सार्वजनिक सेवाओं की लागत की भरपाई करदाता करते हैं जिससे ये अधिक ऋण प्राप्त नहीं सकते हैं।	निजी उद्यमों से प्रतिस्पर्धा कम होती है जिससे निजी उद्यमों का विकास नहीं हो पाता है।
3.	सरकार इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण करती है जिससे इनका अनुचित प्रयोग नहीं हो पाता है ।	कुछ संगठनों का संचलन काफी मंहगा पड़ता है जिसके लिए करदाताओं के धन का अधिक उपयोग करना पड़ता है।
4.	सभी अनिवार्य सेवाएं मुफ्त अथवा रियायती दरों पर होती है तथा जनता से इनके उपयोग के लिए मामूली प्रभार भी नहीं लिया जाता है।	स्वायत्तता केवल कागजों तक ही सीमित है।

5.12.6 सार्वजनिक उद्यमों एवं निजी उद्यमों में अंतर

क्र.सं.	अंतर का आधार	निजी उद्यम	सार्वजनिक उद्यम
1.	लक्ष्य	अधिकाधिक लाभ कमाना	अधिकाधिक सामाजिक कल्याण करना एवं संतुलित विकास का सुनिश्चय करना
2.	स्वामित्व	वैयक्तिकों अथवा वैयक्तिकों के समूह का स्वामित्व	सरकार का स्वामित्व
3.	प्रबंधन	स्वामी अथवा व्यावसायिक प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित	सरकार द्वारा प्रबंधित

4.	पूंजी	स्वामियों द्वारा ऋण, निजी स्रोतों एवं सार्वजनिक इश्यू के माध्यम से उत्पन्न	सरकार से प्राप्त निधियों तथा कभी कभार सार्वजनिक इश्यू से से उत्पन्न
5.	परिचालन क्षेत्र	पर्याप्त लाभ वाले प्रत्येक क्षेत्रों में परिचालन	आधारभूत एवं सार्वजनिक उपयोज्यता क्षेत्रों में परिचालन

पाठगत प्रश्न-5.5

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से क्या अभिप्राय है?
2. यह बताएं कि नीचे दिए गए कौन से विवरण सत्य अथवा असत्य हैं तथा यदि आवश्यक हो विवरण को सुधार दें।

   (क) निजी क्षेत्र के उद्यमियों का उद्देश्य ग्राहकों का कल्याण है।

   (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रबंधन व्यावसायिक प्रबंधकों द्वारा किया जाता है।

   (ग) निजी क्षेत्र के उद्यम सार्वजनिक उपयोग के सेवा क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं।

   (घ) निजी क्षेत्र के उद्यमियों का स्वामित्व एवं प्रबंधन निजी व्यक्ति करते हैं।

   (ङ) सार्वजनिक उद्यमों में सम्पूर्ण निधियन जनता द्वारा किया जाता है।

5.13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का स्वरूप

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तीन स्वरूप में परिचालन करते हैं जो इस प्रकार हैं (1) विभागीय उपक्रम; (2) सांविधिक (अर्थात सार्वजनिक) निगम, तथा (3) सरकारी कम्पनी

5.13.1 विभागीय उपक्रम

विभागीय उपक्रम संगठन का वह स्वरूप होता है जो सरकार के एक विभाग के रूप में चलाया जाता है और ऐसे विभाग का नेतृत्व एक मंत्री करता है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और ऐसे विभाग के लिए सामान्य नीति का निर्धारण करता है। सभी नीतिगत मामले और अन्य निर्णय नियंत्रण मंत्रालय द्वारा लिए जाते हैं और मुख्यत: रेलवे, डाक और टेलीग्राफ सेवाओं, प्रसारण, युद्ध सामग्री कारखानों इत्यादि जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग के लिए होते हैं। ऐसे संगठन सरकार के मंत्रालय के समग्र नियंत्रण में कार्य करते हैं और इनका वित्त पोषण सामान्य बजट के माध्यम से होता है और ये अन्य किसी सरकारी विभाग की तरह ही नियंत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार का स्वरूप उन गतिविधियों के लिए उपयुक्त है जहाँ सरकार जनहित के विचार से उन पर नियंत्रण रखना चाहती है।

चित्र 5.1 रेलवे - विभागीय उपक्रम

विभागीय उपक्रम की विशेषताएं :

विभागीय उपक्रम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

i. इसकी स्थापना सरकार करती है तथा इसका समग्र नियंत्रण ऐसे विभाग के मंत्री के पास होता है।

ii. यह सरकार का भाग होता है तथा प्रबंधन अन्य किसी सरकारी विभाग की तरह ही होता है।

iii. इसका वित्त पोषण सरकारी निधियों के माध्यम से होता है।

iv. यह बजटीय लेखांकन एवं लेखापरीक्षण नियंत्रण के अध्याधीन है।

v. इसकी नीतियों का निर्धारण सरकार करती है तथा यह विधान मंडल को जवाबदेह होती है।

विभागीय उपक्रम के गुण :

विभागीय उपक्रम के गुण निम्नलिखित हैं :

(क) सामाजिक दायित्वों की पूर्ति : ऐसे उपक्रमों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। इस प्रकार ये सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर, दूरस्थ स्थलों पर डाकखाना खोलना, दूरसंचार एवं प्रसारण कार्यक्रम, जिनसे लोगों का सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक विकास हो सकता है, जैसे कुछ सामाजिक उद्देश्य हैं जो विभागीय उपक्रम पूरे करने के प्रयास करता है।

(ख) विधान मंडल के प्रति उत्तरदेयता : विभागीय उपक्रम की कार्यशैली के प्रति संसद में प्रश्न उठ सकते हैं तथा संबंधित मंत्री को ऐसे प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देने होते

हैं। इस प्रकार वे ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं जिससे जनता के किसी समूह विशेष के हित को क्षति पहुंचती हो। ऐसे उपक्रम संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं।

(ग) **आर्थिक क्रियाकलापों का नियंत्रण :** यह सरकार को विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापों के नियंत्रण में सहायता करता है एवं सामाजिक एवं आर्थिक नीति के निर्माण में एक उपकरण की भूमिका का निर्वाह करते हैं।

(घ) **सरकारी राजस्व में योगदान :** विभागीय उपक्रम के अतिरेक (आय), यदि कोई हों, सरकार के राजकोष से संबंधित होते हैं। इससे सरकार की आय में बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार, यदि किसी प्रकार की न्यूनता होती है तो उसकी पूर्ति सरकार करती है तथा इसके परिणामस्वरूप जनता पर कर का अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

(ङ) **निधियों के दुरूपयोग काफी कम संभावना :** चूंकि ऐसे उपक्रम बजटीय लेखांकन एवं लेखापरीक्षा नियंत्रण के अध्याधीन है इसलिए उनकी निधियों के दुरूपयोग की संभावना अपेक्षाकृत काफी कम होती है।

विभागीय उपक्रमों की बाध्यताएं

विभागीय उपक्रमों के सम्मुख निम्नलिखित बाध्यताएं होती हैं :

क) **नौकरशाही का प्रभाव :** सरकारी नियंत्रण के कारण विभागीय उपक्रम को नौकरशाही की कार्यशैली की सभी कुरीतियों को सहन करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, प्रत्येक व्यय से अनुमति, नियुक्ति एवं कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में सरकारी निर्णय के अनुसरण एवं अन्य अनेक अनुपालन करने पड़ते हैं। इन सभी कारणों से ऐसे सभी मामलों के निर्णय निर्धारण लालफीताशाही के कारण देर से किए जाते हैं तथा संगठन नए अवसरों का दोहन नहीं कर पाता है। ऐसे सभी कारण विभागीय उपक्रम की कार्यशैली में कठिनाईयां उत्पन्न करते हैं।

अत्यधिक संसदीय नियंत्रण: अत्यधिक सरकारी संवीक्षा, सरकारी लेखापरीक्षा आदि, जटिल रचनात्मकता एवं कागजी कार्य एवं रिकार्डों का अनुरक्षण रोजमर्रा के प्रशासन में बाधा उत्पन्न करता है। उपक्रमों की कार्यशैली के बारे में अक्सर संसद में भी प्रश्न उठाए जाते हैं।

ख) **व्यावसायिक विशेषज्ञता की कमी :** प्रशासनिक अधिकारी सरकारी नौकर होते हैं तथा वे कार्यशैली का प्रबंधन करते हैं जबकि उनके पास विभाग द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय का कोई अनुभव अथवा विशेषज्ञता नहीं होती है। इस प्रकार, ऐसे उपक्रमों का प्रबंधन व्यावसायिक स्वरूप में नहीं हो पाता है और निर्णय निर्धारण देर से होते हैं जिससे सार्वजनिक निधियों का कुप्रवाह होता है।

ग) **लोचकता की कमी :** लोचकता का अर्थ नीति अथवा परिचालनों में समय की आवश्यकता के अनुरूप सुधार करने की स्वत्रंता प्राप्त होना है जो नियंत्रण के केन्द्रीकरण के कारण विभागीय उपक्रम को प्राप्त नहीं हो पाती है।

घ) **अकुशल कार्यशैली:** ऐसे संगठन अकुशल कर्मचारियों एवं कर्मचारियों के कार्य कौशल में सुधार के लिए उपलब्ध अपर्याप्त प्रोत्साहन के कारण अकुशल हो जाते हैं।

पाठगत प्रश्न-5.6

1. विभागीय उपक्रम द्वारा प्रदान की जाने वाली किन्हीं तीन सेवाओं का उल्लेख करें ।
2. निम्नलिखित की पहचान करें तथा इनका वर्गीकरण विभागीय उपक्रम, सांविधिक निगम एवं सरकारी कम्पनी के रूप में करें ।

   (क) व्यवसाय संगठन की स्थापना सरकार करती है तथा इनका नियंत्रण संबंधित मंत्रालय करता है।

   (ख) संसद अथवा राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विशेष अधिनियम के अंतर्गत निगमित संगठन

   (ग) इसका प्रबंधन सरकार करती है तथा यह बजटीय लेखांकन एवं लेखापरीक्षा नियंत्रण के अध्याधीन है।

   (घ) सरकार द्वारा स्थापित एवं कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संगठन
3. विभागीय उपक्रमों के गुणों एवं बाध्यताओं की पहचान करें। दिए गए बॉक्स में उनकी संख्या लिखें।

   (क) संगठन सरकार के सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है।

   (ख) लोचकता की कमी होना, जिसके कारण त्वरित निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं।

   (ग) निधियों के दुरूपयोग की संभावना कम होती है।

   (घ) संगठन को अकुशल एवं अक्षम कर्मचारियों की समस्या झेलनी पड़ती है

   (ङ) संगठन संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं।

5.13.2 सांविधिक (सार्वजनिक) निगम

सांविधिक निगम (अथवा सार्वजनिक निगम) का अर्थ वे संगठन हैं जो संसद / राज्य की विधान सभाओं द्वारा विशेष रूप से पारित अधिनियमों के अंतर्गत निगमित होते हैं। इनकी प्रबंध न पद्धति, इनकी शक्तियां एवं क्रियाकलाप, प्रक्रिया के क्षेत्र, इसके कर्मचारियों से संबंधित नियम एवं विनियम एवं सरकारी विभागों से इनकी सम्बद्धता आदि का विवरण का उल्लेख संबंधित अधिनियम में होता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा

निगम, इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इत्यादि सांविधिक निगमों के उदाहरण हैं। इसमें यह भी ध्यान देने योग्य है कि समान अधिनियम के अंतर्गत एक से भी अधिक निगम स्थापित किए जा सकते हैं । राज्य बिजली बोर्ड एवं राज्य वित्त निगम इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं।

चित्र 5.2 लोगो

सांविधिक निगमों की विशेषताएं

सांविधिक निगमों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(क) इनका निगमन संसद अथवा राज्य विधान सभा द्वारा पारित विशेष अधिनियम के अंतर्गत होता है।

(ख) यह स्वायत्त निकाय होता है तथा अपने आंतरिक प्रबंधन के संबंध में सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। तथापि, यह संसद तथा राज्य विधान सभा के प्रति जवाबदेह है।

(ग) इसका अलग विधिक आस्तित्व होता है। इसकी सम्पूर्ण पूंजी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

(घ) इसका प्रबंधन निदेशक मंडल करता है जिसमें व्यवसाय प्रबंधन में प्रशिक्षित एवं अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं। निदेशक मंडल के सदस्यों का नामांकन सरकार द्वारा किया जाता है।

(ङ) इससे अपने वित्तीय मामलों के लिए आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा की गई है। तथापि, आवश्यकता की स्थिति में यह सरकार से ऋण तथा / अथवा सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(च) ऐसे उद्यमों के कर्मचारियों की भर्ती, पारिश्रमिक एवं नियंत्रण स्वयं इनकी अपनी अपेक्षाओं के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा निर्णित नियम एवं शर्तों के अंतर्गत होता है।

सांविधिक निगमों के गुण

सार्वजनिक उद्यम के संगठन के रूप में सांविधिक निगम के स्वरूप के काफी लाभ होते हैं जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(क) व्यावसायिक प्रबंधन : इसे विभागीय एवं निजी उपक्रमों, दोनों, के लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे संस्थान व्यवसाय विशेषज्ञों एवं विविध तथा विभिन्न अनुभव प्राप्त विशेषज्ञ समूहों से आए प्रतिनिधियों से युक्त विशेषज्ञ एवं अनुभवी निदेशक मंडल के दिशानिर्देशन में व्यवसाय सिद्धांतों के अंतर्गत संचलन करते हैं।

(ख) आंतरिक स्वायत्तता : ऐसे निगमों के रोजमर्रा के प्रबंधन कार्यों में सरकार का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता है। किसी निर्णय को लेने में बाधित पूरी की जाने वाली औपचारिकताएं कम होने के कारण किसी भी बाधा के बिना निर्णय सुगमता से लिए जाते हैं।

(ग) संसद के प्रति जवाबदेही : सांविधिक संगठन संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। उनकी गतिविधियों की निगरानी प्रेस एवं जनता करती है। इस प्रकार, इन कौशल एवं उत्तरदेयता का स्तर काफी उच्च होता है।

(घ) लोचकता: विषयों एवं वित्त के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त होने के कारण इन्हें अपने परिचालनों में पर्याप्त लोचकता प्राप्त होती है। इससे उत्तम निष्पादन एवं परिचालनात्मक परिणामों का सुनिश्चय सरल हो जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहन : सांविधिक निगम राष्ट्रीय हितों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन करते हैं। इन प्रशासित करने वाले अधिनियमों के अंतर्गत सरकार को सांविधिक निगमों को नीतिगत दिशानिर्देश देने का प्राधिकार प्राप्त होता है।

(च) पूंजी की उत्पति में आसानी: ऐसे संगठनों की साख सरकार के स्वामित्व वाले सांविधिक निकायों के रूप में होती है; जिससे ये सुरक्षा कारक के कारण कम ब्याज दर के साथ बांड जारी करके अपेक्षित पूंजी की उत्पति कर सकते हैं।

सांविधिक निगमों की बाध्यताएं

सांविधिक निगमों के गुणों का हमने अध्ययन किया है, आइए, अब हम इनकी बाध्यताओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं। सांविधिक निगमों की बाध्यताओं का वर्णन नीचे किया है:

(क) सरकारी हस्तक्षेप: इसमें कोई संदेह नहीं सांविधिक निगमों की सर्वाधिक लाभप्रद स्थिति इन्हें प्राप्त स्वतंत्रता एवं लोचकता है, परन्तु यह नाममात्र के लिए केवल कागजों तक ही सीमित होती है। वास्तव में, अनेक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप काफी अधिक होता है।

(ख) कठोरता : इनके क्रियाकलापों एवं इनके अधिकारों में संशोधन केवल संसद द्वारा किए जा सकते हैं जिसमें काफी समय लगता है और यह एक जटिल कार्य है। ऐसा होने से परिवर्तित स्थितियों में प्रतिक्रिया करने एवं प्रमुख निर्णय न लेने के कारण निगम के व्यवसाय में अनेक बाधाएं आती हैं ।

(ग) वाणिज्यिक दृष्टिकोण की उपेक्षा : सामान्यत: वाणिज्यिक निगमों के सम्मुख प्रतिस्पर्धा कम होती है तथा उत्तम निष्पादन के प्रति उत्साह नहीं होता है। ऐसी स्थिति में, अपने कार्यों के प्रबंधन के लिए वाणिज्यिक सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं।

पाठगत प्रश्न-5.7

1. (क) निगमन (ख) (प्रबंधन) के उल्लेख के साथ सांविधिक निगम की विशेषताओं का वर्णन करें।

2. नीचे दिए गए वाक्यों की अशुद्धियों (यदि कोई हों) को दूर करें तथा दिए गए स्थान में सही वाक्य लिखें ।

   (क) सांविधिक निगम स्वायत्त संगठन होते हैं।

   (ख) सांविधिक निगमों का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत होता है।

   (ग) सांविधिक निगमों लाभ के लिए प्रायोजित होते हैं।

   (घ) सांविधिक निगमों के आंतरिक प्रबंधन का नियंत्रण सरकार करती है।

   (ङ) सांविधिक निगमों के लिए पूंजी की व्यवस्था निजी उद्योगपति करते हैं।

5.13.3 सरकारी उपक्रम अथवा कम्पनी

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार सरकारी उपक्रम की परिभाषा ऐसी कम्पनी जिसकी कम से कम 51% चुकता अंश पूंजी का धारण केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के पास है जिनमें वह कम्पनी भी शामिल है जो किसी सरकार की सहायक कम्पनी है के रूप में की गई है।

चित्र 5.3 लोगो

ये कम्पनियां कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं तथा ये उन सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करती हैं जो किसी अन्य पंजीकृत कम्पनी के लिए लागू होते हैं। भारत सरकार द्वारा अपने अनेकों उपक्रमों का व्यवस्थापन एवं पंजीकरण प्रबंधकीय स्वायत्तता, परिचालनात्मक दक्षता एवं निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए किया गया है।

सरकारी कम्पनियों की विशेषताएं

सरकार कम्पनियों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

i. यह कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होती है।

ii. इसकी एक अलग विधिक इकाई होती है। इसके द्वारा मुकदमें किए जा सकते एवं इसके प्रति मुकदमें किए जा सकते हैं तथा यह अपने नाम से सम्पति का अधिग्रहण कर सकती है।

iii. सरकारी कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होती है।

iv. इसका सम्पूर्ण अथवा आंशिक वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाता है। आंशिक स्वामित्व वाली कम्पनी के मामले में सरकार एवं निजी निवेशक द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। परन्तु ऐसे मामले में केन्द्र अथवा राज्य सरकार का कम्पनी में अंशभाग कम से कम 51 % होना आवश्यक है।

v. इसका प्रबंधन निदेशक मंडल करता है। सभी निदेशकों अथवा निजी प्रतिभागिता के प्रसार के आधार पर अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति सरकार करती है।

vi. इसके लेखांकन एवं लेखापरीक्षा व्यवहार निजी उद्यमों की तरह ही होते हैं तथा इसके लेखापरीक्षक सरकार द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखाकार होते हैं।

vii. इसके कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं होते। उनका विनियमन इसके संगम अनुच्छेद के अनुसार कार्मिक नीतियों के अंतर्गत होता है।

सरकारी कम्पनियों के गुण

सार्वजनिक उद्यम के स्वरूप वाली सरकारी कम्पनी के गुण निम्नलिखित हैं:

(क) **स्थापना की सरल प्रक्रिया** : अन्य सार्वजनिक उद्यमों की तुलना में सरकारी कम्पनी का गठन सरलता से किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए संसद अथवा राज्य विधान सभा में किसी विधेयक को पारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कम्पनी अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके इसका गठन सरकार के मात्र एक कार्यकारी निर्णय द्वारा सरलता से किया जा सकता है।

(ख) **व्यवसाय पद्धतियों के अनुसार कुशल कार्य सम्पादन** : सरकारी कम्पनी व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर सकती है। यह वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों के लिए पूर्णत: स्वतंत्र होती है। इसके निदेशक मंडल में सामान्यत: विख्यात व्यावसायिक एवं स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं।

(ग) **कार्यकुशल प्रबंधन** : सरकारी कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों पर चर्चा के लिए प्रस्तुत की जाती है जिससे इसका प्रबंधन अपने क्रियाकलापों के प्रति सचेत रहता है तथा व्यवसाय प्रबंधन के कार्य कुशलतापूर्वक करता है।

(घ) **स्वस्थ प्रतिस्पर्धा**: ऐसी कम्पनियां सामान्यत: निजी क्षेत्र के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करती

है तथा इससे गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमीबेशी के बिना माल एवं सेवाओं की प्राप्ति औचित्यपरक मूल्यों पर हो पाती है।

सरकारी कम्पनियों की बाध्यताएं

सरकारी कम्पनियों के सम्मुख निम्नलिखित बाध्यताएं होती हैं:

(क) नव प्रयास न कर पाना: सरकारी कम्पनियों के प्रबंधन के सम्मुख सार्वजनिक जवाबदेही का भय होता है। इसके कारण, वे सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं जिसके कारण नए प्रयास नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा, लोक निन्दा के भय के कारण कुछ निदेशक व्यवसाय के प्रति अधिक रूचि नहीं लेते हैं।

(ख) व्यवसाय अनुभव की कमी : व्यावहारिक रूप में ऐसी कम्पनियों का प्रबंधन सामान्यत: प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पास होता है जिन्हें व्यावसायिक पद्धतियों के अनुसार व्यवसाय संगठन के प्रबंधन का अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार, अधि कांश मामलों में, वे अपेक्षित कौशल स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

(ग) नीतियों एवं प्रबंधन में बदलाव : सरकार के बदलने के साथ साथ ऐसी कम्पनियों की नीतियों और प्रबंधन में भी बदलाव आते रहते हैं। नियमों, नीतियों एवं प्रक्रिया बार बार बदलाव होने से व्यवसाय संस्थान के लिए अस्वास्थ्यकर स्थिति उत्पन्न होती है।

पाठगत प्रश्न-5.8

1. सरकारी कम्पनी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित का सुनिश्चय करना है :

   क. प्रबंधकीय स्वायत्तता

   ख. .....

   ग. .....

2. नीचे दिए गए वर्णनों का वर्गीकरण सरकारी कम्पनियों के गुण (एम) अथवा बाध्यता (एल) के रूप में करें तथा दिए गए बॉक्स में संबंधित संख्या लिखें:

   (क) इसका गठन करना सरल होता है तथा ये कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शासित होती हैं।

   (ख) इससे निजी क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की उत्पति होती है।

   (ग) सरकारी कम्पनियां निर्णय निर्धारण समय पर नहीं करती हैं।

   (घ) सरकार में बदलाव होने के परिणामस्वरूप सरकारी कम्पनी के नियमों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव होता है।

   (ङ) इसे वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होती है।

5.14 सार्वजनिक क्षेत्र के भिन्न उपक्रमों का तुलनात्मक वर्णन

आधार	विभागीय उपक्रम	सार्वजनिक निगम	सरकारी कम्पनी
स्थापना	मंत्रालय द्वारा	संसद द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम के माध्यम से	मंत्रालय द्वारा निजी प्रतिभागिता के साथ अथवा प्रतिभागिता के बिना
विधिक स्थिति	सरकार से भिन्न कोई अलग इकाई नहीं	भिन्न इकाई जो मुकदमा कर सकती है तथा जिसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है	पृथक निगमित अस्तित्व
पूंजी	बजट विनियोजन से उपलब्धि	सरकार द्वारा सम्पूर्ण उपलब्धि	इसका आंशिक भाग निजी उद्यमियों द्वारा उपलब्ध करवाया जा सकता है
प्रबंधन	संबंधित मंत्रालय से सरकारी अधिकारी	निदेशक मंडल	निदेशक मंडल में निजी प्रतिभागिता हो सकती है
नियंत्रण एवं जवाबदेही	नियंत्रण मंत्री एवं संबंधित मंत्रालय के पास	संसद	वैयक्तिक सरकार (संबंधित मंत्रालय)
स्वायत्तता	कोई स्वायत्तता नहीं। सरकार के भाग के रूप में कार्य	रोजमर्रा के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं	सरकारी हस्तक्षेप से थोड़ी बहुत स्वतंत्रता
संवहनीयता	रक्षा, सार्वजनिक उपयोज्यताएं	लम्बी उत्पादन पूर्व अवधि वाले भारी उद्योग एवं सेवा प्रदान करने वाले उद्यम	प्रत्येक प्रकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्यम

5.15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की भूमिका

आपको यह ज्ञात ही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र भी विकास में योगदान देता है। तथापि, कुछ चयनित क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास और लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने उद्यम स्थापित करती है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें पूंजी का भारी निवेश तो अपेक्षित होता है, परन्तु लाभ का प्रतिफल या तो काफी कम होता है या फिर सरपल्स (अतिरेक) की उत्पति में काफी लम्बा समय लगता है जैसा कि बिजली के उत्पादन और आपूर्ति, मशीन निर्माण, बांधों के निर्माण जैसे मामलों में होता है। निजी क्षेत्र के उद्यमी ऐसे क्षेत्रों के लिए अपने उद्यम स्थापित नहीं करते हैं परन्तु जमशेद जी टाटा जैसे बहुत कम उद्यमी जनहित में देश की सेवा के लिए निवेश करने का साहस करते हैं। इस प्रकार, इस तरह के उद्यमों की स्थापना एवं इनका संचलन सरकार करती है। इसी के साथ साथ, निजी उद्यम देश के प्रत्येक भाग में उद्योगों की स्थापना करके संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहयोग देते हैं। उदाहरण के तौर पर, मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना होने से राज्य में अनेक नए लघु उद्योग स्थापित हुए हैं।

देश की प्रगति के लिए औद्योगिक विकास का महत्व सर्वाधिक है और समग्र विकास के लिए तेल, कोयला, गैस, लोहा, इस्पात, भारी इलेक्ट्रीकल सामान जैसे कुछ आधारभूत उद्योगों का होना अत्यावश्यक है। सार्वजनिक उद्यम इन आधारभूत उद्योगों के विकास को गति प्रदान करते हैं और अपने उत्पादों और सेवाओं के साथ निजी क्षेत्र के विकास में भी सहायता देते हैं। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रौद्योगिकी कारणों से भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। बिजली, पावर, गैस का उत्पादन, भारी मशीनरी उपकरण, टेलीफोन का उत्पादन आदि ऐसे उद्योग हैं।

सार्वजनिक उद्यमों के विकास से आर्थिक शक्तियों का संकेन्द्रण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हाथों में नहीं हो पाता है। इसके अलावा, हमारे देश में आर्थिक असमानताएं बढ़ती जा रही हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। सार्वजनिक उद्यम उपार्जित लाभ का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के क्रियाकलापों में करने जैसी विभिन्न नीतियों के माध्यम से एवं कच्चे माल की बिक्री लघु उद्योगों को कम मूल्यों पर करके इस असमानता को न्यून करने में अपना सहयोग दे रहे हैं।

देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी यह आवश्यक है कि उन उद्योगों को यथोचित बढ़ावा दिया जाए जो उद्योग आयात कम कर सकते हैं और निर्यात बढ़ा सकते हैं। सार्वजनिक उद्यम भी ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करते हैं।

यह एक पुरानी अवधारणा है कि प्रकृति से जो लाभ प्राप्त होते हैं वे प्रत्येक को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाने चाहिए। सार्वजनिक उद्यम यह सुनिश्चय करते हैं कि भूमि, तेल,

कोयला, गैस, जल, बिजली एवं अन्य आवश्यक संसाधन प्रत्येक को उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाए जाएं।

देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके सुनिश्चय के प्रति किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। देश की सुरक्षा से जुड़े लड़ाकू विमानों, हथियारों और गोला-बारूद आदि का उत्पादन इसी उद्देश्य के साथ सार्वजनिक उद्यमों के क्षेत्र में है। इस प्रकार, सार्वजनिक कल्याण के लिए योजनाबद्ध देश का आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संतुलन, आयात प्रतिस्थापन और आर्थिक शक्तियों के संकेन्द्रण की जाँच सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से प्राप्त प्रमुख लक्ष्य हैं।

पाठगत प्रश्न 5.9

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्राप्त प्रमुख लक्ष्यों का वर्णन करें :

   (क) .....

   (ख) .....

   (ग) .....

   (घ) .....

   (ङ) .....

2. (क) निम्नलिखित का पूरा नाम लिखें :

i.	बीएचईएल	ii.	बीपीसीएल	iii.	गेल (जीएआईएल)
iv.	एचपीसीएल	v.	आईओसी	vi.	एमटीएनएल
vii.	एनटीपीसी	viii.	ओएनजीसी	ix.	एसएआईएल

पाठांत प्रश्न

अति लघुउत्तरीय प्रश्न

1. किसी संयुक्त स्टॉक कम्पनी के संदर्भ में श्अंशश शब्द का अर्थ क्या है?
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार श्कम्पनीश शब्द का अर्थ क्या है?
3. बहुराष्ट्रीय निगम का अर्थ क्या है?
4. व्यवसाय प्रारंभ किए जाने के मामले के संदर्भ में निजी कम्पनी एवं सार्वजनिक कम्पनी के मध्य व्याप्त अंतर का वर्णन करें?
5. आप केवल नाम को देखकर ही यह कैसे पहचान कर सकते हैं कि कौन सी कम्पनी सार्वजनिक कम्पनी है और कौन सी कम्पनी निजी कम्पनी है?

6. सार्वजनिक निजी भागीदारी का अर्थ क्या है ?
7. उस संगठन को क्या कहा जाता है जिसका गठन दो अथवा अधिक स्वतंत्र फर्मों को मिलाकर किया गया है?
8. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की परिभाषा बताएं।
9. निजी निगम का अभिप्राय क्या है?
10. यह बताएं कि विभागीय उपक्रम का अर्थ क्या है ?
11. सरकारी कम्पनी क्या होती है ?
12. किन्हीं ऐसे दो प्रमुख लक्ष्यों का वर्णन करें जो सार्वजनिक उद्यम के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. कृपया बताएं कि कैसे कोई कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति व्यक्ति होती है।
2. सार्वजनिक कम्पनी की विशेषताओं का वर्णन करें।
3. सदस्यता एवं चुकता पूंजी के आधार पर निजी कम्पनी एवं सार्वजनिक कम्पनी के मध्य भिन्नता बताएं।
4. व्यवसाय संगठन के लिए संयुक्त स्टॉक कम्पनी स्वरूप की उपयुक्तता का वर्णन करें।
5. वे कौन सी शर्तें हैं जो किसी निजी कम्पनी को पूरी करनी होती हैं?
6. विभागीय उपक्रम की किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन करें।
7. निजी कम्पनी एवं सार्वजनिक कम्पनी के मध्य भिन्नता बताएं (किन्हीं दो विशिष्टताओं के उल्लेख के साथ)
8. विभागीय उपक्रम के गुणों के रूप में (क) सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा (ख) आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण का वर्णन करें।
9. सार्वजनिक उद्यम किस प्रकार देश में आर्थिक असमानताओं को कम करने में सहायक हैं?
10. सांविधिक निगमों की किन्हीं दो बाध्यताओं का वर्णन करें।
11. 'संयुक्त उद्यम' का अर्थ क्या है? किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. यह बताएं कि व्यवसाय संगठन का संयुक्त स्टॉक कम्पनी स्वरूप क्यों बड़ी एवं जोखिम वाली परियोजनाओं के संपादन के लिए उचित समझा जाता है ?
2. संयुक्त स्टॉक कम्पनी की किन्हीं पांच विशेषताओं का वर्णन करें।

3. आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं, परन्तु अब आपने संयुक्त स्टॉक कम्पनी का गठन किया है। निम्नलिखित के संबंध में आपने इनमें क्या भिन्नता देखी है :

   (क) कानूनी स्थिति

   (ख) दायित्व, तथा

   (ग) वित्त

4. किसी मेजबान देश को बहुराष्ट्रीय निगम से प्राप्त होने वाले किन्हीं पांच लाभों का वर्णन करें।

5. किन्हीं ऐसे पांच कारकों का वर्णन करें जो किसी व्यवसाय संगठन का चयन करने के दौरान विचार में लिए जाने के लिए अपेक्षित होते हैं।

6. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का अर्थ क्या है? इसकी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करें।

7. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम किस प्रकार देश में भारतीय अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास एवं सार्वजनिक कल्याण में सहायता प्रदान कर रहे हैं?

8. सरकारी कम्पनी क्या है? यह किस प्रकार सांविधिक निगम से भिन्न होती है? ऐसे किन्ही पांच विभेदनों का उल्लेख करें।

9. आपने विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम एवं सरकारी कम्पनियों जैसे विभिन्न प्रकार के स्वरूप के बारे में सुना होगा। इन तीनों के उदाहरण के साथ कम से कम एक एक नाम तथा प्रत्येक की दो विशेषताओं का वर्णन करें।

10. आप एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में साक्षात्कार के लिए एक उम्मीदवार हैं। साक्षात्कार बोर्ड के एक सदस्य आपसे सार्वजनिक कम्पनी एवं निजी कम्पनी के मध्य अंतर के बारे में पूछते हैं। कृपया किन्हीं पांच प्वांइटों के उल्लेख के साथ यह बताएं कि आप किस प्रकार साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देंगे।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

5.1

1. नहीं, क्योंकि कम्पनी का आस्तित्व निरंतर रहता है। यह नए सदस्यों के साथ अपने कार्य जारी रख सकती है।

2. (क) अंश

   (ख) कम्पनी अधिनियम, 2013

   (ग) अंश पूंजी (घ) समान मोहर

   (ङ) निदेशक

5.2

1. नहीं, अंशधारकों के दायित्व सीमित होते हैं। साथ ही, उन्हें आगे अधिक हानि से बचने के लिए अंशों का अंतरण करने अथवा बिक्री करने का विकल्प प्राप्त होता है।
2. निजी लिमिटेड कम्पनी (क) (ग) तथा ; सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी (ख) (घ)
3. (क) एम (ख) एम (ग) एल (घ) एल (ङ) एम

5.3

1 (क) व्यावसायिक प्रबंधन के लिए आवश्यक है (ख) विशाल वित्तीय अपेक्षाएं
(ग) अत्यधिक जनशक्ति अपेक्षाएं

2. (क) संयुक्त स्टॉक कम्पनी (ख) एकल स्वामित्व (ग) एकल स्वामित्व
(घ) संयुक्त स्टॉक कम्पनी (ङ) एकल स्वामित्व

5.4

1. (क) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन (ख) वृहद आकार (ग) केन्द्रीकृत नियंत्रण

2 (क) (i.) 2 – साझेदारी (ii.) 7 – सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी
(iii.) 10 – सहकारी समिति

3 (घ)

4. (ग)

5. (ग)

6. (घ)

5.5

1. यह सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों से संबंधित है।

2. (क) असत्य – सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का लक्ष्य ग्राहकों का कल्याण है।
(ख) असत्य – सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रबंधन सरकार करती है।
(ग) असत्य – सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सार्वजनिक उपयोज्यता सेवाओं के क्षेत्र के लिए संकेन्द्रित होते हैं।
(घ) सत्य
(ङ) असत्य – सार्वजनिक उद्यमों का वित्तीय सरकारी निधियों से होता है तथा कभी कभार सार्वजनिक इश्यू के माध्यम से होता है।

5.6

1. (क) रेलवे (ख) डाक सेवाएं (ग) प्रसारण
2. (क) विभागीय उपक्रम (ख) सांविधिक निगम
   (ग) सरकारी कम्पनी (घ) सरकारी कम्पनी
3. गुण - (क), (ग), (ङ) बाध्यताएं - (ख), (घ)

5.7

1. (क) इसका निगमन संसद अथवा राज्य विधान सभा द्वारा पारित विशेष अधिनियम के माध्यम से होता है।
2. (क) कोई परिवर्तन नहीं
   (क) इसका प्रबंधन निदेशक मंडल करता है जिसका गठन प्रशिक्षित एवं अनुभव प्राप्त वैयक्तिकों से युक्त होता है।
   (ख) सांविधिक निगमों का निगमन संसद अथवा राज्य विधान सभा द्वारा पारित विशेष अधिनियम के माध्यम से होता है।
   (ग) सांविधिक निगम लाभ के प्रति प्रेरित नहीं होते हैं।
   (घ) सांविधिक निगमों का आंतरिक प्रबंधन सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है।
   (ङ) सांविधिक निगमों को पूंजी सरकार उपलब्ध करवाती है।

5.8

1. (ख) परिचालनात्मक कौशल (ग) निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा
2. गुण - (क), (ख), (ङ)
   बाध्यताएं - (ग), (घ)

5.9

1. (क) सार्वजनिक कल्याण
   (ख) देश का योजनागत आर्थिक विकास
   (ग) क्षेत्रीय संतुलन
   (ग) आयात प्रतिस्थापन
   (ङ) आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण की जांच
2. (क) (i.) बीएचईएल - भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड
   (ii.) बीपीसीएल - भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(iii.) जीएआईएल – गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

(iv.) एचपीसीएल – हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(v.) आईओसीएल – इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(vi.) एमटीएनएल – महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

(vii.) एनटीपीसी – नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(viii.) ओएनजीसी – तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

(ix.) एसएआईएल – स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

करें और सीखें

1. कम से कम पांच बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र करें तथा निम्नानुसार एक चार्ट का निर्माण करें :

	1	2	3	4	5
1. कम्पनी का नाम					
2. इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है					
3. अन्य किन देशों में यह परिचालन करती है					
4. किस माल एवं/अथवा सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार करती है					

2. अपने क्षेत्र के 10 निवासियों से यह सूचना एकत्र करें कि वे किस स्वरूप के संगठन में कार्य कर रहे हैं तथा उनका वर्गीकर निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में करें। ऐसे संगठनों को विभिन्न क्षेत्रों में रखने के कारणों के उल्लेख के साथ एक रिपोर्ट तैयार करें।

रोल प्ले

1. सुधीर और सुशील दो मित्र हैं तथा वे एक ही गांव से संबंध रखते हैं। एक त्यौहार के अवसर पर वे काफी लम्बे समय के पश्चात मिले। दोनों कभी एक फर्म में साझीदार हुआ करते थे। परन्तु सुशील ने पांच वर्ष फर्म छोड़ दी थी तथा उसने एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में निदेशक के पद पर सेवाएं प्रारंभ की थी।

उन दोनों के बीच निम्नानुसार बातचीत हुई :

सुधीर : हैल्लो सुशील। कैसे हो आप? आपकी कम्पनी कैसी चल रही है?

सुशील : हाय सुधीर। मैं ठीक हूं। हमारी कम्पनी भी बहुत अच्छा व्यवसाय कर रही है। इस वर्ष हमारा लाभ पांच करोड़ रुपए से भी अधिक हुआ है।

सुधीर : बहुत बढ़िया। परन्तु इस लाभ को कमाने के लिए आपकी कम्पनी ने निश्चित ही बहुत विशाल राशि का निवेश अपनी गतिविधियों में किया होगा। क्यों ठीक कह रहा हूं, न? परन्तु आपको इतना धन मिला कहां से?

सुशील : वस्तुतः यह एक पब्लिक (सार्वजनिक) लिमिटेड कम्पनी है, इसके सदस्यों की संख्या काफी अधिक होने के कारण विशाल राशि एकत्र की जा सकती है। और, हां, इसमें वे बिना किसी जोखिम के निवेश के निवेश करते हैं क्योंकि उनके दायित्व सीमित होते हैं।

क्यों नहीं, तुम भी अपने साझीदारी वाले व्यवसाय को संयुक्त स्टॉक कम्पनी में परिवर्तित कर लेते, न तो कम से कम प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में (सुधीर संयुक्त स्टॉक कम्पनी की विशेषताओं, गुणों, बाध्यताओं और संयुक्त स्टॉक कम्पनी की संवहनीयता के बारे में जानना चाह रहे थे, सुशील ने उन्हें इसके बारे में बताया। दोनों के बीच बातचीत जारी थी)

आप अपने आपको सुधीर की जगह रखें और अपने मित्र को सुशील की जगह रखें। उनकी इन भूमिकाओं का निर्वाह करके अपने अध्ययन को रोचक बनाएं ।

2. आप पिछले कुछ वर्षों से एक भारतीय कम्पनी में प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहे हैं। आपको एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी में नौकरी का प्रस्ताव मिलता है जिसके बारे में आप अपने वरिष्ठ जनों को जानकारी देते हैं। आपने उनसे इस प्रकार चर्चा की है:-

मुख्य प्रबंधक: सतीश, आप हमारी कम्पनी को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? आप एक अच्छे पद पर कार्य कर रहे हैं और फिर हमारी कम्पनी भी राष्ट्रीय स्तर की है।

सतीश : महोदय, आप बिलकुल सही कह रहे हैं, परंतु मुझे एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी में सेवा का अवसर मिला है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनी में सेवा प्रारंभ करने के प्रति कायल करने के लिए मुख्य प्रबंधक के साथ सतीश की बातचीत को जारी रखें।

3. सुरेश और रमेश दो अच्छे मित्र हैं तथा वे एक दूसरे से काफी लम्बे समय के पश्चात मिलते हैं।

आपसे यह अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित को पढ़ें तथा अपने एवं अपने किसी मित्र के लिए भूमिका का चयन करके उससे योग्य तर्क करें।

सुरेश : हाय रमेश, कैसे हो तुम? काफी समय के पश्चात मैं तुम से मिल रहा हूं।

रमेश : हैल्लो, रमेश! मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।

सुरेश : क्या कर रहे हो आजकल?

रमेश : मैं भारतीय रेल में एक अधिकारी के पद पर काम कर रहा हूं।

सुरेश : बहुत अच्छे। और मैं भी एक सरकारी कम्पनी में काम कर रहा हूं। दोनों अपने अपने संगठनों के बारे में बात करते हैं।

विभागीय उपक्रम एवं सरकारी कम्पनियों के गुणों एवं बाध्यताओं के विचार से आपसे यह अपेक्षित है कि आप उनकी चर्चा को योग्य तर्क के साथ जारी रखें।

4. एक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के अच्छे निष्पादन का समाचार आया था। जिससे प्रेरित होकर व्यवसाय अध्ययन के एक विद्यार्थी के रूप में आपने अपने शिक्षक से पीसीपी कक्षाओं के दौरान बात करने का निर्णय लिया। आप राजन हैं तथा अपने शिक्षक के साथ आपने निम्नानुसार बातचीत की है:

राजन: सर, ऐसे क्या कारण है कि सरकारी संगठन पिछले वर्षों की तुलना में आजकल अच्छा निष्पादन कर रहे हैं।

शिक्षक: राजन, आप बिलकुल सही कह रहे हों। परन्तु, क्या आपको यह पता है कि ये विभिन्न प्रकार के संगठन हैं तथा ये सभी लाभार्जन के उद्देश्य से नहीं हैं।

राजन : ऐसा है क्या सर? कृपया मुझे इन संगठनों के बारे में कुछ और बताएं।

शिक्षक : जरूर राजन और उनके बीच चर्चा जारी रहती है।

आपने क्या सीखा

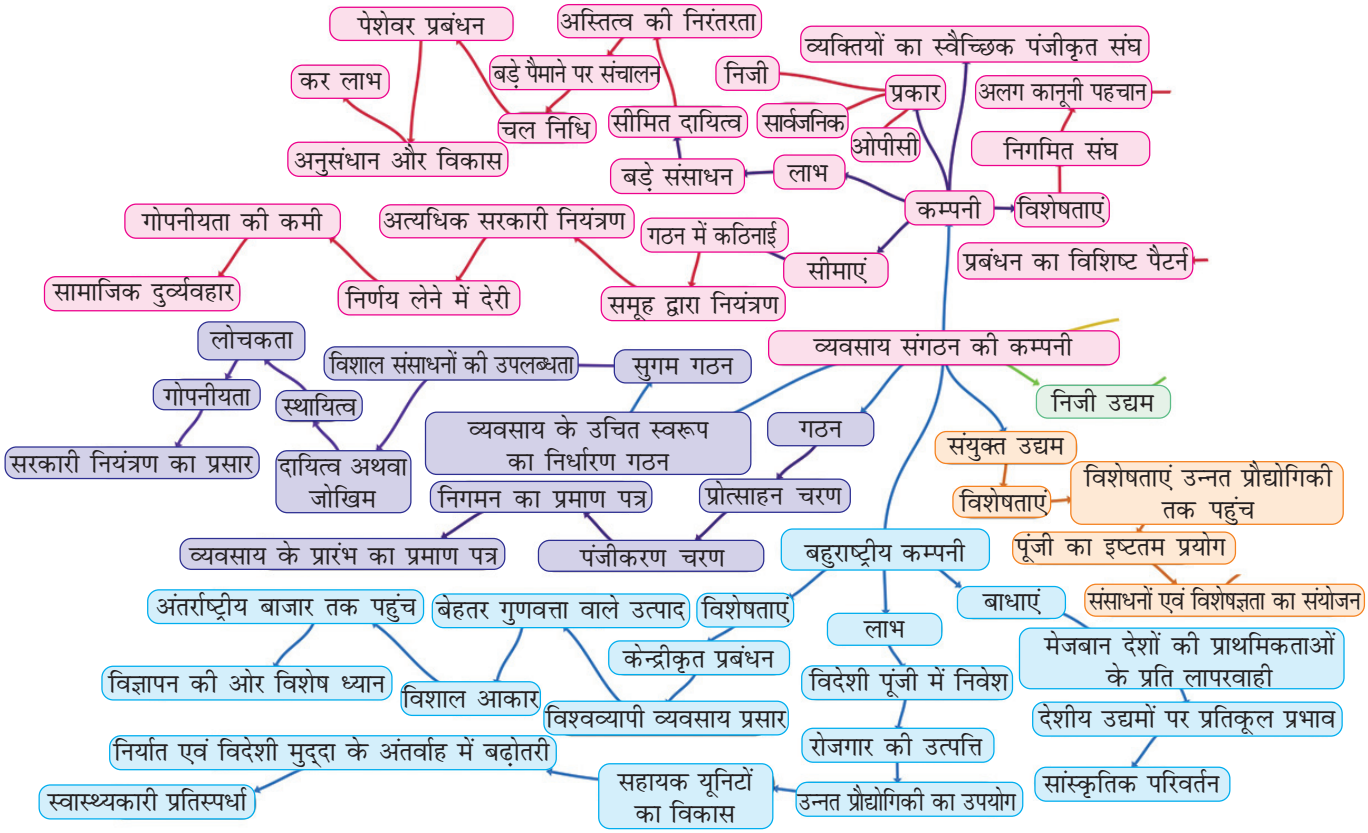
पेशेवर प्रबंधन
अस्तित्व की निरंतरता
व्यक्तियों का स्वैच्छिक पंजीकृत संघ
कर लाभ
बड़े पैमाने पर संचालन
निजी
प्रकार
अलग कानूनी पहचान
चल निधि
सीमित दायित्व
सार्वजनिक
ओपीसी
निगमित संघ
अनुसंधान और विकास
बड़े संसाधन
लाभ
कम्पनी
विशेषताएं
गोपनीयता की कमी
अत्यधिक सरकारी नियंत्रण
गठन में कठिनाई
सीमाएं
प्रबंधन का विशिष्ट पैटर्न
सामाजिक दुर्व्यवहार
निर्णय लेने में देरी
समूह द्वारा नियंत्रण
लोचकता
व्यवसाय संगठन की कम्पनी
विशाल संसाधनों की उपलब्धता
सुगम गठन
निजी उद्यम
गोपनीयता
स्थायित्व
व्यवसाय के उचित स्वरूप का निर्धारण गठन
गठन
संयुक्त उद्यम
सरकारी नियंत्रण का प्रसार
दायित्व अथवा जोखिम
निगमन का प्रमाण पत्र
प्रोत्साहन चरण
विशेषताएं
विशेषताएं उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच
व्यवसाय के प्रारंभ का प्रमाण पत्र
पंजीकरण चरण
बहुराष्ट्रीय कम्पनी
पूंजी का इष्टतम प्रयोग
अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच
बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद
विशेषताएं
बाधाएं
संसाधनों एवं विशेषज्ञता का संयोजन
लाभ
केन्द्रीकृत प्रबंधन
मेजबान देशों की प्राथमिकताओं के प्रति लापरवाही
विज्ञापन की ओर विशेष ध्यान
विशाल आकार
विदेशी पूंजी में निवेश
विश्वव्यापी व्यवसाय प्रसार
देशीय उद्यमों पर प्रतिकूल प्रभाव
रोजगार की उत्पत्ति
निर्यात एवं विदेशी मुद्दा के अंतर्वाह में बढ़ोतरी
सांस्कृतिक परिवर्तन
सहायक यूनिटों का विकास
स्वास्थ्यकारी प्रतिस्पर्धा
उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग

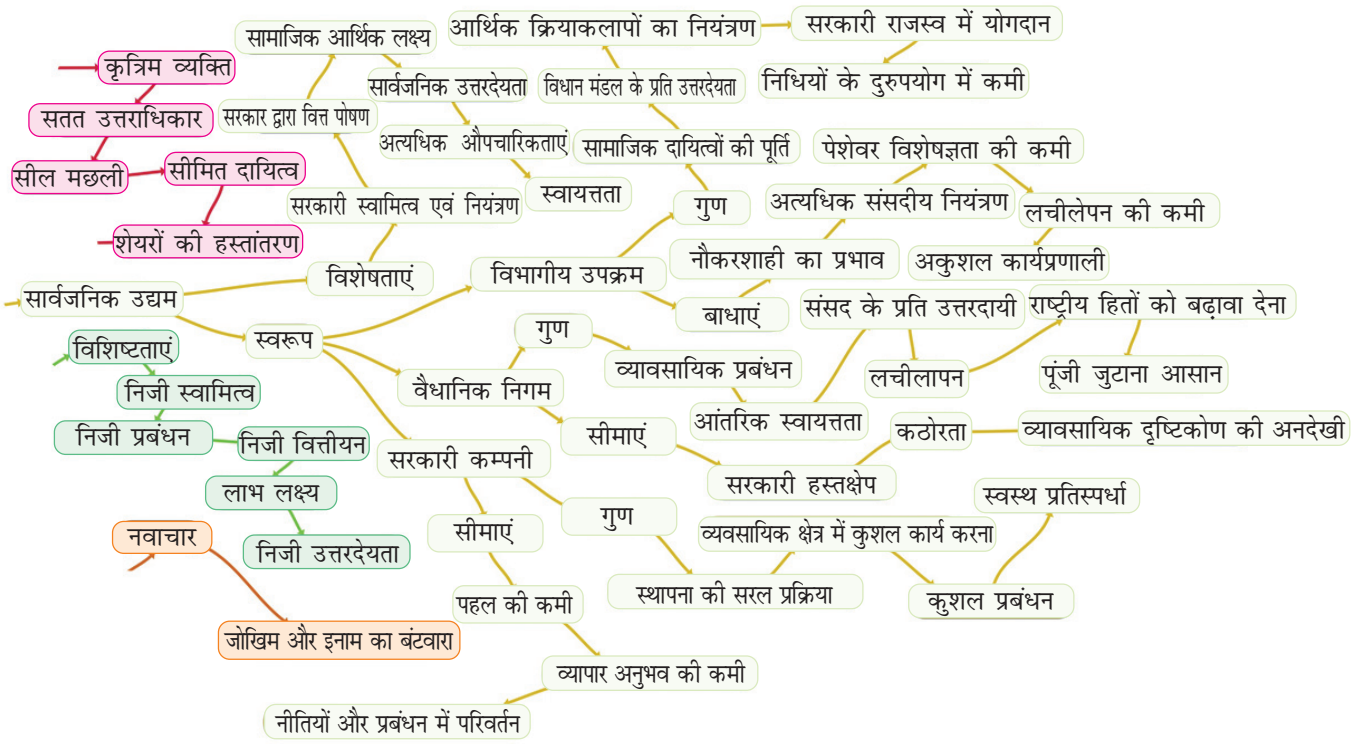
सामाजिक आर्थिक लक्ष्य
आर्थिक क्रियाकलापों का नियंत्रण
सरकारी राजस्व में योगदान
कृत्रिम व्यक्ति
सार्वजनिक उत्तरदेयता
विधान मंडल के प्रति उत्तरदेयता
निधियों के दुरुपयोग में कमी
सतत उत्तराधिकार
सरकार द्वारा वित्त पोषण
अत्यधिक औपचारिकताएं
सामाजिक दायित्वों की पूर्ति
पेशेवर विशेषज्ञता की कमी
सील मछली
सीमित दायित्व
स्वायत्तता
गुण
अत्यधिक संसदीय नियंत्रण
लचीलेपन की कमी
सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण
शेयरों की हस्तांतरण
नौकरशाही का प्रभाव
अकुशल कार्यप्रणाली
विशेषताएं
विभागीय उपक्रम
सार्वजनिक उद्यम
बाधाएं
संसद के प्रति उत्तरदायी
राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना
स्वरूप
गुण
विशिष्टताएं
व्यावसायिक प्रबंधन
लचीलापन
पूंजी जुटाना आसान
निजी स्वामित्व
वैधानिक निगम
आंतरिक स्वायत्तता
निजी प्रबंधन
निजी वित्तीयन
सीमाएं
कठोरता
व्यावसायिक दृष्टिकोण की अनदेखी
सरकारी कम्पनी
सरकारी हस्तक्षेप
लाभ लक्ष्य
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा
गुण
नवाचार
सीमाएं
व्यवसायिक क्षेत्र में कुशल कार्य करना
निजी उत्तरदेयता
स्थापना की सरल प्रक्रिया
कुशल प्रबंधन
पहल की कमी
जोखिम और इनाम का बंटवारा
व्यापार अनुभव की कमी
नीतियों और प्रबंधन में परिवर्तन